



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in

NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक: आर0ओ0/1854/2026-27

दिनांक 01-10-2026

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 01. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। | 02. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ। |
|---|---|

विषय:- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2026 को गाँधी जयंती मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक: 1026/सत्तर-3-2026, दिनांक 01.10.2026 एवं उसके साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 16/2026/593/19-2-2026-1084/85, दिनांक 29.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर, 2026 को गाँधी जयंती मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपको शासन के पत्र दिनांक 01.10.2026 की प्रति समस्त संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से दिनांक 03.10.2026 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(Signature)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. अध्यक्ष/संयोजक, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. समन्वयक, (एन0एस0एस0), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
06. सहायक कुलसचिव, (सम्बद्धता) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

1
कुलसचिव

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ०प्र०, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2026

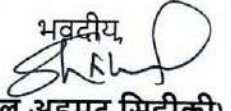
विषय:-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2026 को गांधी जयंती मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-16/2026/593/19-2-2026-1084/85, दिनांक 29.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2026 को गांधी जयंती मनाये जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं उसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

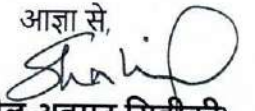
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) संयुक्त सचिव/उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (4) अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- (6) विशेष कार्याधिकारी/राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।



प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

विषय:-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2026 को 'गांधी जयन्ती समारोह' मनाया जाना।

महोदया/महोदय,

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा और नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का अतुलनीय योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आजादी की लौ को प्रज्ज्वलित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 02 अक्टूबर हमारे देश के उन अनेक ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतर अवसर है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के आदर्शों, सिद्धान्तों व उनके सद्विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करता है।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2026 को “गांधी जयन्ती समारोह” सम्मानपूर्वक आयोजित किया जाना है। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें यथोचित परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए आप सक्षम हैं और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते हैं, जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हों। प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

(क) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए।

(ख) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और अन्य संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हॉल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे महात्मा गांधी जी के चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाए और उसके बाद गांधी जी के जीवन-संघर्ष, उनकी देश-सेवा, उनके जीवन-मूल्यों पर प्रकाश डाला जाए। विशेष रूप से निर्बलों एवं कमजोरों के कल्याण सम्बन्धी “अन्त्योदय” की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सम्बन्ध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाए।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (ग) स्कूलों और कालेजों में गांधीवादी जीवन-दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों की वाद-विवाद प्रतियोगिताएं एवं गोष्ठियां आयोजित की जाएं, जिनमें जातिगत भेद-भाव से ऊपर उठकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाए। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीड़न को समाप्त करने और सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन की प्रतिबद्धता से जन-साधारण को अवगत कराया जाए।
- (घ) महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करने, बालिका-शिक्षा को बढ़ावा देने, दहेज-प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जन-सामान्य, विशेषकर महिलाओं को जागरूक कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, महिला हेल्प लाइन, निराश्रित महिला पेंशन, मिशन शक्ति, महिला समूहों, बी0सी0 सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आदि योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिला एवं बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जा रही है।
- (ङ) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अनुसार गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामवासियों में नैतिकता, सादगी तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाए। इस दिशा में शासन की पारदर्शी नीति और इस सम्बन्ध में किये गए अभिनव एवं सार्थक प्रयासों से भी जन-साधारण को अवगत कराया जाए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में उसके व्यापक प्रभाव, उनके महान व्यक्तित्व द्वारा किये गए रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि पर प्रकाश डाला जाए।

जन-साधारण को 'सादा जीवन उच्च विचार', मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म सम्भाव, सत्य, अहिंसा जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाए। उन्हें यह भी बताया जाये कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिए।

'पंचायती राज' को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते थे। इन संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वावलम्बन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों से जन-साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाए कि पंचायतें ग्रामीण विकास तथा 'ग्राम-स्वराज' के नये मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब गांवों के विकास कार्यक्रमों में गांवों के नागरिकों, मुख्यतः महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पंचायतों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता,

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक सद्भाव, एकता तथा सहयोग बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिए जन-सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाए।

विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त, वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टालरैन्स की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। यह भी बताया जाए कि राज्य सरकार 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना के आधार पर निरन्तर आगे बढ़ रही है।

विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही अच्छे वातावरण के साथ स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। आम जनता को यह भी बताया जाए कि प्रदेश सरकार प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। आजादी के 100 वर्ष पूरा होने तक विजन-2047 के संकल्प के अनुसार कार्य योजना तैयार करके विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश तथा आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना है।

प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है- 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास'। राज्य सरकार "सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास" के आधार पर एवं गरीब, महिलाओं, किसानों तथा युवाओं सहित सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु कृत-संकल्पित है। बापू की जयन्ती पर उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर एक विकसित, सशक्त, समर्थ एवं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

वर्तमान सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के संबंध में अत्यन्त संवेदनशील है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका "संलग्न परिशिष्ट" में उल्लेख किया गया है, के संबंध में जन-साधारण को अवगत कराया जाए।

आम जन-मानस को यह भी बताया जाए कि यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए जन-मानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक:-परिशिष्ट

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-16/2026/593(1)/उन्नीस-2-2026-1084/85

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रदेश के दोनों मा0 उप मुख्यमंत्री जी एवं समस्त मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्री जी के निजी सचिवों को मंत्री जी के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

संजय प्रसाद

अपर मुख्य सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं कार्यक्रम:-

1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित “जनता दर्शन” में आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 16 सितम्बर, 2026 तक कुल 7,15,19,567 प्राप्त संदर्भों में से 7,05,64,503 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा ‘थाना दिवस’ दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. धर्मार्थ कार्य:-

- (1) उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने पर जीवनकाल में एक बार एक लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 557 तीर्थ यात्रियों को अनुदान वितरित। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को अनुदान दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
- (2) धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन। इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले तीर्थ यात्रियों को ₹0 20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 70 तीर्थ यात्रियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया। जिस पर अनुदान दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
- (3) धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा संचालित अयोध्या में पब्लिक एमिनटीज (सार्वजनिक सुविधाएं) का विकास रामपथ के दोनों ओर शेष रिक्त भूमि का सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण। जनपद अयोध्या में सरयू नदी में फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण। श्री राम जन्म भूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग लम्बाई 12.940 किमी0 04 लेन का कार्य पूर्ण।
- (4) धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा कई परियोजनाएं संचालित हैं। इसके तहत जनपद अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 35 सार्वजनिक शौचालय एवं यूटिलिटीज का निर्माण। जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण। जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल का निर्माण।
- (5) वैदिक विज्ञान केन्द्र की काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्थापना की गयी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या में 05 आधारभूत विकास परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. कानून व्यवस्था:-

- (1) प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पुलिसिंग के स्तर व गुणवत्ता में सुधार हेतु सतत कार्यवाही, अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।
- (2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने क्रियाशील। प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्क की स्थापना। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल/हेल्पलाइन नं० 1930 की सहायता से अगस्त, 2019 से माह जून, 2026 तक रु० 874 करोड़ 58 लाख से अधिक की धनराशि फ्रीज़/होल्ड करायी गई। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश का साइबर रैंकिंग प्रथम स्थान रहा।
- (3) प्रदेश के 07 महानगरों-लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।
- (4) यू०पी०-112 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। यू०पी०-112 के अंतर्गत 7,16,84,344 आपात सहायता प्रदान की गयी। यू०पी-112 का रिस्पांस टाइम वर्तमान में 06 मिनट 11 सेकेण्ड है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पॉवर लाइन 1090, जी०आर०पी०, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।
- (5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए गठित एंटी रोमियो स्कवायड के अंतर्गत 5 करोड़ 95 लाख से अधिक व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 02 करोड़ 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी एवं 42,226 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कर 80 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण।
- (6) महिला सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में 03 महिला पी०ए०सी० बटालियन का गठन तथा 05 अन्य के गठन की प्रक्रिया गतिमान।
- (7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन।
- (8) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही में 20 मार्च 2017 से अब तक 303 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 12,202 घायल। 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 87,835 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 995 अपराधियों के विरुद्ध एन०एस०ए० की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 152 अरब 33 करोड़ रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।
- (9) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,494 के विरुद्ध 909 अभियोग पंजीकृत तथा 651 की गिरफ्तारी, 18 के विरुद्ध एन०एस०ए०, 802 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु० 4,309 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 36 माफिया व 104 संगठित अपराधियों को सघन पैरवी कराकर आजीवन कारावास व 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड से दण्डित कराया गया।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 01 जुलाई, 2023 से जून, 2026 तक विभिन्न अपराधों में कुल 1,48,441 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्न अपराधों में 105 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 12,103 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 2,301 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 7,389 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष की सजा, 11,110 अभियुक्तों को 05 से 09 वर्ष की सजा, 1,15,433 अभियुक्तों को 05 वर्ष से कम की सजा से दण्डित कराया गया।
- (11) प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हेतु 134 नये थाने, 07 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना।
- (12) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।
- (13) अप्रैल, 2017 से माह जून 2026 तक विभिन्न पदों पर 2,21,245 पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा कुल 1,60,846 पुलिस कर्मियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश के समस्त थानों में कुल 19,400 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 9,172 महिला बीटों का आवंटन।
- (14) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय “धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो” के अनुपालन अभियान के अंतर्गत 1,17,145 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा 1,85,468 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।
- (15) महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 का गठन। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 30 जून, 2026 तक 34,734 अभियोगों में तथा पॉक्सो अधिनियम के 15,402 अभियोगों एवं बलात्कार के 4,714 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।
- (16) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यक्ष एप का लोकार्पण किया गया, इस एप से किसी भी जनपद में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों का उनके निवास थाने के आधार पर अभिलेखीकरण एवं निरन्तर सत्यापन किया जा रहा है।
- (17) प्रदेश के 12 जनपदों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।
- (18) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 12,78,287 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 12,149 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-

- (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह अगस्त, 2026 तक कुल 23 किस्तों में 3.12 करोड़ कृषकों को कुल ₹0 1,03,447.23 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित की गयी।
- (2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह अगस्त, 2026 तक कुल 69.22 लाख बीमित कृषकों को ₹0 6119.93 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 में माह अगस्त, 2026 तक कुल 34,632 खेत-तालाब का निर्माण।
- (4) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 91,104 सोलर पम्पों की स्थापना।
- (5) प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 2,324 क्लस्टर के 1,16,200 हे० क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 11,750 हे० क्षेत्रफल गो-आधारित प्राकृतिक खेती में परिवर्तित। प्रदेश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 तक 2,11,960 हे० क्षेत्रफल जैविक खेती में परिवर्तित। वर्ष 2026-27 में 91,400 हे० क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।
- (6) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह अगस्त, 2026 तक 571.33 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज वितरित। उत्पादन बढ़ोतरी हेतु वर्ष 2023-24 से माह अगस्त, 2026 तक 21.09 लाख तिलहन एवं 7.74 लाख दलहन बीज मिनीकिट वितरित।
- (7) वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह अगस्त, 2026 तक कुल ₹0 58103.16 करोड़ फसली ऋण वितरित एवं माह अगस्त, 2026 तक कुल 36.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।
- (8) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह अगस्त, 2026 तक कुल 888.26 लाख मी०टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण एवं माह अगस्त, 2026 तक कुल 168374.56 मी. टन/कि.ली. रक्षा रसायन का वितरण।
- (9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु 30प्र० कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। वर्ष 2021-22 से माह अगस्त, 2026 तक कुल 4,397 एफपीओ का गठन।
- (10) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से माह अगस्त, 2026 तक कृषकों को कुल 9.70 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।
- (11) प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से माह अगस्त, 2026 तक कुल 2.53 लाख लाभार्थी कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया गया।
- (12) सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2026-27 में रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना हेतु ₹0 15000 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। खरीफ 2026 में 07 सितम्बर, 2026 तक 14.38 लाख मी०टन उर्वरक वितरित।
- (13) अधिकोषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में माह अगस्त 2026 तक ₹0 12870.43 लाख का दीर्घकालीन फसली ऋण वितरण से 3,988 किसानों को मिला लाभ। वर्ष 2026-27 में माह अगस्त, 2026 तक ₹0 1004393.81 लाख अल्पकालीन फसली ऋण वितरण से कुल 12,17,098 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- (14) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बीपैक्स में गोदाम निर्माण में वर्ष 2025-26 तक कुल 1,109 गोदाम पूर्ण, प्रदेश में 1,27,200 मी०टन क्षमता का सृजन किया गया।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(15) सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के तहत प्रदेश की कार्यशील समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु नाबार्ड को स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एवं शीर्ष बैंक को स्टेट डेज़िग्नेटेड एजेंसी नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं एम-पैक्स से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

(16) मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारी/आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के अंतर्गत माह अगस्त, 2026 तक कुल 6,899 कृषक लाभार्थियों को धनराशि रु0 1277.24 लाख की अनुदान राशि वितरित।

(17) मण्डी समितियों के आंतरिक कार्यों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत 01 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2026 तक लगभग 11,894 ई-मण्डी लाइसेंस निर्गत किये गये तथा 1.58 करोड़ से अधिक ऑनलाइन पचियां निर्गत। ई-नाम के अंतर्गत प्रदेश की 162 मण्डियों में 01 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2026 तक रु0 1575 करोड़ से अधिक का डिजिटल व्यापार किया गया।

(18) वर्ष-2026-27 में अब तक मैंगो पैक हाउस लखनऊ, अमरोहा एवं सहारनपुर के माध्यम से 433.742 मीट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया।

(19) वित्तीय वर्ष 2026-27 में 120 सम्पर्क मार्गों लम्बाई 169.71 किमी0 लागत रु0 47.50 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं।

(20) वित्तीय वर्ष 2025-26 में 315 नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 441.82 किमी0 लागत रु0 248.60 करोड़ धनराशि स्वीकृति, जिसके सापेक्ष 26 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को रु0 3,24,625 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) प्रदेश में गन्ना उत्पादकता में 72.38 टन प्रति हे0 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 83.25 टन प्रति हे0 हो गयी, जिससे किसानों की आय में रु0 40,219 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

(4) विगत 09 वर्षों में प्रदेश में 44.65 लाख हे0 क्षेत्रफल में गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) ऑनलाइन खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयां हेतु लाइसेंस निर्गत। इससे 73,700 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित होगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग रु0 1241.25 करोड़ का पूंजीगत निवेश और 41900 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(7) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,163 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिसमें 57,322 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक रु0 7601.85 लाख का अनुदान वितरित।

(8) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित अवधि में कराया जा रहा है।

6. आबकारी विभाग -

(1) आबकारी विभाग प्रदेश के राजस्व में योगदान करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विभाग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 109.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल रु0 57,722.26 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

(2) विभाग द्वारा एण्ड-टू-एण्ड ट्रैक एण्ड ट्रेस वृहद पोर्टल का संचालन। जिसमें सभी मांगपत्र, अनुमतियां, लाइसेंस और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटाइज।

(3) भारत सरकार के एथनॉल ब्लैण्डिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान। वर्ष 2025-26 में 20.29 प्रतिशत वृद्धि के साथ 22952.24 ली0 पावर अल्कोहल का उत्पादन। प्रदेश में कार्यरत 126 चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2025-26 में अगस्त 2026 तक 423.29 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन।

(4) प्रदेश में अल्कोहल/बीयर उत्पादन की नई इकाइयों की स्थापना करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहभागिता। विभाग द्वारा सत निगरानी/प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही से विगत 04-05 वर्षों से अवैध मदिरा के उपभोग से जनहानि पर पूर्णतया रोक।

(5) वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति एवं निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति वर्ष 2026-2029 प्रख्यापित।

(6) आबकारी विभाग के एक दिवसीय निवेश सम्मेलन पर लगभग 4,320 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त।

(7) प्रदेश में 102 आसवनियां कार्यरत हैं, जिसकी कुल वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 46,372.40 लाख ली0 है। एथनॉल उत्पादन में लगातार वृद्धि व आपूर्ति से किसानों की आय में वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में वृद्धि हुई।

7. खाद्य एवं रसद विभाग -

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। प्रत्येक वर्ष होली एवं दीपावली के अवसर पर 02 निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर वितरित। प्रदेश में कुल 1.72 करोड़ गैस सिलेण्डर रिफिल वितरित किया गया है।

(2) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से गेहूँ खरीद हेतु गेहूँ का समर्थन मूल्य रु0 2,585 प्रति कुन्तल निर्धारित। गेहूँ क्रय अवधि में 4,19,431 कृषकों से 21.56 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया। धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2,369 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए श्रेणी के लिए रु0

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2,389 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए 10,53,561 कृषकों से 62.31 लाख मी0टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2,775 प्रति कुन्तल निर्धारित। 54,253 किसानों से 2.14 लाख मी0टन बाजरा क्रय किया गया।

(4) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2,400 प्रति कुन्तल की दर से 22,718.57 मी0टन मक्का की खरीद की गई तथा ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज्वार हाइब्रिड का रु0 3,699 प्रति कुन्तल एवं ज्वार मालदण्डी का रु0 3,749 प्रति कुन्तल निर्धारित की दर से 43,562.06 मी0टन ज्वार की खरीद।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

(6) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद बस्ती में फल एवं कन्नोंज में शाकभाजी, कौशाम्बी में फल तथा चन्दौली में सब्जी तथा लखनऊ में ऑर्नामेन्टल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस संचालित। मखाना के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना विकास योजना प्रारम्भ।

(2) 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कुल 31,335 इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 26,996 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 36,060 लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

(3) राज्य सेक्टर की फल पट्टी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 214 किसानों को पावर नैपसैक स्प्रेयर, 20 किसानों को ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर, 47 हे0 क्षेत्रफल में कैनोंपी प्रबंधन, 277 हे0 क्षेत्र में आईपीएम एवं 31 ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर आदि सुविधाओं के साथ 500 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 90,943 हे० क्षेत्रफल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा से 75,249 लाभार्थी लाभान्वित।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्योगिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24,111 हे० क्षेत्र में नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी, पुष्प, मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार किये गये।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस संचालित एवं नवोन्मेषी पहल के अंतर्गत आलू के बिक्रय दर में छूट की योजना प्रारम्भ।

(7) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 156 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम तथा 134 मीट्रिक टन में राइपेनिंग चेम्बर के कार्यक्रम कराये गये।

9. उद्योग:-

(1) “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण” (बीडा) का गठन कर झांसी जनपद के 33 राजस्व ग्रामों की कुल 56,000 एकड़ से अधिक भूमि को औद्योगिक एवं आर्थिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा।

(2) झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा० मुख्यमंत्री जी ने 30 प्र० को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) फरवरी, 2024 में चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित, जिसमें अब तक रु० 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 16,000 परियोजनाओं के चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न। रु० 4.33 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 8,300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं तथा रु० 7.76 लाख करोड़ मूल्य की 8,100 से अधिक परियोजनाएं प्रगति पर।

(5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।

(6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र, डिजिटल निवेशक संबंध प्रबन्धन पोर्टल-निवेश सारथी के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) समझौता जापान (एमओयू) पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए “इन्वेस्ट यूपी” द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल ‘निवेश सारथी’ विकसित किया गया। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत 08 समर्पित कन्ट्री डेस्क की स्थापना की गयी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होंगे।
- (8) उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार विदेशी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति-“उत्तर प्रदेश एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोब 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।
- (9) ईज आफ डूइंग बिजनेस में निवेश मित्र-3.0 के अंतर्गत व्यापक डिजिटल इन्टीग्रेशन के माध्यम से 43 से अधिक विभागों की 530 से ज्यादा सेवाओं को घटाकर 200 किया गया। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ ‘निवेश मित्र’ देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।
- (10) मा0 मुख्यमंत्री जी की जापान की सफल यात्रा के क्रम में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के मा0 गवर्नर श्री कोतारो नाकाशाकी के नेतृत्व में लगभग 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का उ0प्र0 की यात्रा के साथ ही उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेटमेंट मीट 2026 का नई दिल्ली एवं लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजन। जिसमें पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा श्रम/कौशल विकास सहयोग से संबंधित समझौता जापान हस्ताक्षरित।
- (11) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- (12) वर्ष 2024 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम स्थापना, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण विनियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता अनुमति एवं निर्माण परमिट जैसे 24 सुधार क्षेत्रों में 426 प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित किया गया है।
- (13) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख नई नीतियों की घोषणा की थी, इनमें सेमीकंडक्टर नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायोप्लास्टिक नीति, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति, एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति एवं प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025, उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 प्रख्यापित। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एक समग्र अवस्थापना योजना एवं कार्यान्वयन के परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में सक्रिय रूप से स्वीकार किया गया है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(14) उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश डिफेन्स कॉरिडोर में कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित 5,000 हे० भूमि में से 2,000 हे० भूमि का अधिग्रहण। डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, इन्कोर रिसर्च लैब, एयरोले टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम्स, एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को भूमि आवंटित। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी डिफेंस एवं एयरोस्पेस परियोजना तथा ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी सेन्टर का उद्घाटन किया गया है।

(15) एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत अब तक 21,961 लाभार्थियों को ₹0 1004.03 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित।

(16) उत्तर प्रदेश भारत के निर्यात वृद्धि का एक प्रमुख केन्द्र बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश का निर्यात में देश में पांचवा स्थान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्यात बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है।

(17) प्रदेश के निर्यातकों को तुलनात्मक रूप से शसक्त एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 लागू। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 81 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों वाला राज्य बना।

(18) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजनान्तर्गत अब तक 2,01,836 लाभार्थियों को लाभान्वित कर 8318.40 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त एवं गारण्टी युक्त ऋण उपलब्ध करा कर स्वरोजगार से जोड़ा गया। 'एक जनपद एक उत्पाद' कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना में वर्ष 2018 से अब तक 1,61,502 हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अब तक 40,448 लाभार्थियों को 1037.30 करोड़ रुपये मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 25 ट्रेड में कार्यरत अब तक 4,43,412 परम्परागत कारीगरों को लाभान्वित किया गया।

(19) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु एमएसएमई पार्क विकसित करने के लिए PLEDGE योजना लागू, जिसमें अब तक कुल 14 प्लेज पार्कों को स्वीकृत मिली।

(20) निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेंस/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था। इसके तहत अब तक कुल 53,92,693 उद्यम पंजीकृत हुए।

(21) प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) का संचालन, जिससे प्रत्येक जनपद को अपने विशिष्ट व्यंजन के माध्यम से नई पहचान मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

10. सूचना प्रौद्योगिकी:-

(1) 30प्र० डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चिकृत करते हुए प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। 644 मेगावाट क्षमता सहित 06 डाटा सेन्टर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाले 02 डाटा सेन्टर

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इकाइयों की निवेश परियोजना स्वीकृत। 07 परियोजनाएं कार्यरत। 30प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2026 अधिसूचित।

(2) 30प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 तथा संशोधित नीति-2022 के अंतर्गत कुल ₹0 8889.34 करोड़ का निवेश और 1,01,650 से अधिक रोजगार संभावनाओं से युक्त 44 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया। यह नीति फरवरी, 2026 से 02 वर्ष के लिए विस्तारित। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों को भूमि दर में दी गयी छूट के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ₹0 130.10 करोड़ की प्रतिपूर्ति तथा इस क्षेत्र में निवेशकों को ₹0 567.63 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण। 30प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित, जहां अब तक 210 से अधिक ईएसडीएम ईकाइयां हैं।

(3) प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा निर्यात-2015 में ₹0 15000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹0 1,01,970 करोड़ से अधिक का हो गया है, जो 17 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक दर दर्शाता है। वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं आगरा में आईटी पार्कस्/एसटीपीआई केन्द्र परिचालनरत हैं। गोरखपुर साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 26 मार्च, 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।

(4) ए0आई0 प्रज्ञा कार्यक्रम का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मई, 2025 को शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए वन मिलियन नागरिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर इकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना।

(6) 30प्र0 स्टार्टअप नीति के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 24,000 से अधिक स्टार्टअप सहित उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम का तीव्र गति से विस्तार। इनमें से 3,500 से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत हैं। डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप्स में महिलाओं के नेतृत्व में 11,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। नई स्टार्टअप नीति-2026 अधिसूचित।

11. जी0एस0टी0:-

(1) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत अक्टूबर, 2017 से राज्य सरकार द्वारा बीमा राशि ₹0 05 लाख से बढ़ाकर ₹0 10 लाख प्रति करदाता की गयी। वर्ष 2025-26 में 321 करदाताओं के हितार्थियों को ₹0 31.94 करोड़ का भुगतान किया गया।

(2) वर्ष 2026 के समारोह में प्रथम बार राज्यकर में योगदान देने वाले छोटे, मध्यम व बड़े करदाताओं को दानवीर भामाशाह सम्मान के लिए सभी 75 जनपदों में चयनित करते हुए सम्मान प्रदान किया गया।

(3) नेक्स जेन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत जीएसटी दरों को रेशनलाइजेशन के निर्णय के क्रम में जीएसटी की 04 प्रचलित दरों में से 02 दरों 12 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत को समाप्त करते हुए

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

केवल 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत रखा गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु 28 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं को 18 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं को 5 प्रतिशत में रख दिया गया है।

(4) ₹0 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों हेतु मासिक कर किन्तु तिमाही रिटर्न की सुविधा प्रभावी है। जीएसटी के अंतर्गत रिफंड के आवेदन से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। वर्ष 2026-27 में माह अगस्त तक ₹0 1338 करोड़ रिफंड भुगतान हुआ है।

(5) जीएसटी पंजीयन में 22.37 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ 30^{प्र0} देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2026-27 के माह अगस्त, 2026 तक 1.88 लाख नये पंजीयन कराये गये हैं।

(6) वर्ष 2026-27 में ₹0 1,98,071 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अगस्त, 2026 तक ₹0 53,858 करोड़ का राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ है, जो देश के मुख्य राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

12. नगर विकास:-

(1) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों में देश में उत्तर प्रदेश के कुल 08 शहरों को पुरस्कार मिला, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा 10^{वें}, गाजियाबाद 11^{वें}, प्रयागराज 12^{वें}, कानपुर 13^{वें}, वाराणसी 17^{वें}, मेरठ 23^{वें}, अलीगढ़ 26^{वें} स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत प्रदेश में 03 से 10 लाख की जनसंख्या के 08 नगरों- गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या में 08 शहर चयनित तथा 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के शहरों में 05 शहर चयनित।

(3) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 1689.18 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा स्मार्ट सॉल्यूशन आदि के 134 कार्य स्वीकृत तथा 68 कार्य पूर्ण। वर्ष 2026-27 हेतु ₹0 450 करोड़ का बजट प्राविधान।

(4) प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए स्मार्टसिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु ₹0 6,33,189 लाख का आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित।

(6) अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ₹0 29716.29 करोड़ लागत की पेयजल, सीवरेज/सेप्टेज, पार्क, सरोवर के विकास की 636 स्वीकृति परियोजनाओं में 449 परियोजनाओं पर कार्य प्रगतिशील तथा इनमें से 104 परियोजनाएं पूर्ण।

(7) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत 9 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों तथा 70,000 सीटों के माध्यम से 10,000 से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्माण, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण, 120.82 लाख मी0टन लेगेसी वेस्ट का निस्तारण, 734 सार्वजनिक शौचालय, 431 यूरिनल तथा 195 आकांक्षी शौचालय का निर्माण।

(8) मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समरूप एवं समान सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि की जायेगी। वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत रु0 750 करोड़ का बजट प्राविधान।

(9) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय निगरानी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था तथा प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(10) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास कार्य प्रगति पर। वर्ष 2026-27 में रु0 175 करोड़ का बजट प्राविधान।

(11) दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत 512 नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 350 करोड़ का बजट प्राविधान।

(12) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम-ग्रिड्स) के तहत नगरीय निकायों में पर्यावरण अनुकूल एवं कॉस्ट इफेक्टिव एकीकृत हरित सड़क नेटवर्क के विकास हेतु 17 नगर निगमों में 102 सड़कों के विकास हेतु रु0 2976.94 करोड़ की धनराशि निर्गत। योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में 850 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान।

(13) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 'वंदन' योजना के तहत वर्ष 2026-27 में धनराशि रु0 250 करोड़ स्वीकृत। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जलनिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित, उच्चकृत, सीमा विस्तारित नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु वर्ष 2026-27 में रु0 875 करोड़ का बजट प्राविधान।

13. जलशक्ति:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1300 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 24.11 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 190 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी0, जलाशयों की संख्या 71 तथा चलित राजकीय नलकूप 36,342 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 में अब तक कुल 1,549 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 25.59 लाख हे0 से अधिक भूमि का बचाव करते हुए 221.42 लाख आबादी को लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य निर्माणाधीन। इस परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद झांसी, बांदा, महोबा एवं ललितपुर में 2.51

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लाख हे० सिंचन क्षेत्र सृजित होगा तथा 3 लाख कृषकों को सिंचाई सुविधा व 21 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना में 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे० सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महाराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण। परियोजना पूर्ण होने से 5,386 हे० सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक लाभान्वित हुए। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य लाभान्वित होंगे। परियोजना पूर्ण होने पर 35,467 हे० सिंचन क्षमता का सृजन, 2 लाख आबादी को पेयजल सुविधा, 108 ग्रामों के 53,000 कृषक लाभान्वित होंगे।

(6) प्रदेश में विगत कई वर्षों से 613 किमी० लम्बाई की 110 बिस्मार नहरों की खुदाई एवं गैप कार्यों को पूर्ण कराकर टेल तक पानी पहुंचाया गया। इससे 37,285 हे० अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए 42000 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति:-

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत 75 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें से 44 सीवरेज शोधन संयंत्र पूर्ण। 26 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर।

(2) वर्तमान में राज्य में 44 परियोजनाओं में 47 एसटीपी का निर्माण पूर्ण, जिनकी शोधन क्षमता 1100.70 एमएलडी है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 80 घाटों एवं 15 शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूर्ण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) राज्य में 07 गंगा बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 41 स्थानों से माह जुलाई, 2025 में नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच में डीओ 9.40 पीपीएम से 7.3 पीपीएम के मध्य पाया गया।

(5) गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में 'अर्थगंगा' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में "हर घर को नल से जल" उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में विंध्य व बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों में अब तक 2,46,53,462 से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन द्वारा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

(7) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,16,340 स्कूलों एवं 1,55,136 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति। राज्य पेयजल एवं स्वच्छ मिशन द्वारा प्रदेश में जल सारथी ऐप विकसित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(8) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत 30प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित। वर्ष 2026-27 में 45 विकासखण्डों के वॉटर सिक्योरिटी प्लान का विकास, 350 मध्यम गहरे पोजीमीटर का की स्थापना एवं 75 जनपदों में पम्प टेस्ट का कार्य कराने की प्रक्रिया जारी।

(9) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,58,579 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 4,463 गहरी बोरिंग व 9,530 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 1,253 ब्लास्ट कूपों का निर्माण, 326 चेकडैम, 231 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार। इन कार्यों के पूर्ण होने से 5,72,806 हे० सिंचन क्षमता का सृजन हुआ।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(1) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी० लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी० लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) बुन्देलखण्ड के जनपद चित्रकूट में भरतकूप के पास से प्रारम्भ होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जनपद इटावा के कुदरैल ग्राम तक 296.07 किमी० लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) जनपद गोरखपुर के ग्राम जैतपुर के पास से प्रारम्भ होकर जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का 04 लेन चौड़ा (06 लेन विस्तारणीय) 91.352 किमी० लम्बाई की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी० लम्बाई के 06 लेन चौड़ा (08 लेन विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण।

(5) प्रदेश के समस्त एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक केन्द्रों के विकास के लिए इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजनान्तर्गत 27 स्थानों पर इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना हेतु 12,700 एकड़ भूमि का चिन्हांकन। 10,922 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में कुल 06 नोड विकसित करने हेतु लगभग 2095.10 हे० भूमि अधिग्रहीत। अब तक कुल 217 रक्षा उद्योग स्थापना हेतु एमओयू हस्ताक्षरित। इसमें से 67 उद्योगों को कुल 1155.30 हे० भूमि आवंटित, 09 उद्योगी संस्थाओं द्वारा रक्षा क्षेत्र से संबंधित उपकरण का उत्पादन प्रारम्भ।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर तथा मार्च, 2026 में जेवर में निर्मित व संचालित हैं, जिसका लोकार्पण मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस प्रकार प्रदेश में कुल 05 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(7) वर्तमान में प्रदेश में 17 क्रियाशील एयरपोर्ट्स से 75-80 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड हैं।

(8) जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने से उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना।

16. ऊर्जा:-

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही। जनपद मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय 23:13 घंटे एवं ग्रामीण 21:36 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 15 फरवरी, 2026 से 15 मार्च, 2026 की अवधि को अनुरक्षण माह घोषित कर 4,00,342 कार्य, जिसमें 33/11 केवी स्विचयार्ड ट्रान्सफार्मर सर्किट ब्रेकर लाइन ट्रिस्टीब्यूशन प्रोटेक्शन से संबंधित कार्य किये गये। वर्ष 2025-26 से जून, 2026 तक 8,832 पावर ट्रान्सफार्मर 2,63,940 ट्रिस्टीब्यूशन ट्रान्सफार्मर स्थापित। बिजनेस प्लान के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से विभिन्न योजनाओं में कुल 114 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत एवं 1,362 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गयी।

(3) कृषकों के हित में पूर्ण जमा योजना तथा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से माह अगस्त, 2026 तक 2,67,390 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 1,66,135 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।

(4) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल0टी0 लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को ए0बी0 केबिल में बदला गया। इससे लाइन हानियों में कमी आई। वर्ष 2025-26 में लाइन लॉस 13.04 प्रतिशत रहा।

(5) बिजली बिल राहत योजना-2025-26 के अंतर्गत 46,95,780 विद्युत बिल के प्रकरण तथा 1,82,329 विद्युत चोरी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिसमें 48,78,109 उपभोक्ताओं को रु0 5811.61 करोड़ सरचार्ज की धनराशि माफ की गयी। एकमुस्त समाधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 47,71,863 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया।

(6) झटपट पोर्टल पर 2025-26 में 13,98,344 तथा वर्ष 2026-27 में माह अगस्त, 2026 तक 5,04,689 नये संयोजन निर्गत किये गये।

(7) आर0डी0एस0एस0 योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2026 तक 97,89,205 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

(8) उपभोक्ताओं को घर बैठे नये संयोजन लेने एवं बिल जमा करने की ऑनलाइन सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।

(9) प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों के लागू वर्तमान टैरिफ को राज्य परिवहन के लिए भी अनुमन्य किया गया है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के माह मार्च, 2026 तक 62896.143 मि०यू० ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया था। दिनांक 25 मई, 2025 को अधिकतम 192.1049 मि०यू०/8004 मे०वाँट का रिकार्ड विद्युत उत्पादन किया गया।

(11) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2025-26 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 32,500 मेगावाँट किया गया। वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 35,000 मे०वाँट किया जाना लक्षित है।

(12) यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 3,098 मेगावाँट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(13) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के तहत 2,770 मेगावाँट क्षमता के 8.25 लाख संयंत्रों की स्थापना। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 27,21,075 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 23,067 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी-1 के अंतर्गत 8,848 ऑन-ग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन किया गया।

(14) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावाँट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।

(15) उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 73 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में 38 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित। इसके अंतर्गत प्रदेश में 02 सेन्ट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति।

17. श्रम एवं सेवायोजन:-

(1) उ०प्र० रोजगार मिशन का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्ड्स सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित। प्रदेश सरकार ने उ०प्र० आउटसोर्स सेवा निगम का गठन।

(2) ई-श्रम पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 8.47 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन से 31 अगस्त, 2026 तक कुल 1,95,21,956 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा 5,01,746 निर्माण स्थलों का पंजीयन किया गया, जिसमें रु० 14803.90 करोड़ की धनराशि उपकर के रूप में प्राप्त।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 लाभार्थियों को रु० 3.35 लाख वितरित।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह ₹0 1,000 प्रति बालक एवं ₹0 1,200 प्रति बालिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 2.00 करोड़ की धनराशि आवंटित।

(5) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अब तक 33,607 कारखाने पंजीकृत, जिनमें 13,170 नये कारखाने पंजीकृत।

(6) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 6,004 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। वर्तमान में 1336 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवामित्र पोर्टल पर 53,625 कुशल कामगार पंजीकृत। 31 अगस्त, 2026 तक 31,151 कैरियर काउन्सलिंग कार्यक्रमों में कुल 35,46,387 अभ्यर्थियों द्वारा कैरियर मार्गदर्शन हेतु प्रतिभाग। 31 अगस्त, 2026 तक कुल 14,732 रोजगार मेलों के माध्यम से 18,09,404 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराया गया।

(8) समाज के वंचित तबकों, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा 14,555 छात्र- छात्राएँ अध्ययनरत।

(9) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 7,23,114 श्रमिक आच्छादित। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 30प्र0 देश में दूसरे स्थान पर।

18. शिक्षा:-

(1) प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय ₹0 10,000 प्रतिमाह को बढ़ाते हुए ₹0 18,000 प्रतिमाह तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय ₹0 10,000 प्रतिमाह से बढ़ाते हुए ₹0 17,000 प्रतिमाह 01 अप्रैल, 2026 से कर दिया गया है। शिक्षकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिक्षक कैंशलेज चिकित्सा की योजना स्वीकृत।

(2) परिषदीय विद्यालयों में पी.एम. पोषण योजना के अंतर्गत रखे गये रसोइयों का मानदेय में ₹0 1,000 की वृद्धि करते हुए ₹0 3,000 प्रतिमाह का निर्णय तथा ड्रेस हेतु ₹0 500 से बढ़ाकर ₹0 1,000 किया गया।

(3) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। शैक्षिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 हेतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित एससीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को प्रथम चरण में 02 सेट यूनीफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा रु0 1,200/- धनराशि अन्तरित की गयी है।
- (5) प्रदेश के छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, विकास खण्डों एवं विद्यालयों में “स्कूल चलो अभियान” कार्यक्रम संचालित किया गया।
- (6) कक्षा 06 से 08 तक के बच्चों को कौशल विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए 5,562 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग बाई इईंग संचालित। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल। 38,465 उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में 10,78,402 बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
- (7) मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के अंतर्गत 150 विद्यालयों के निर्माण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत। प्रत्येक जनपद के एक विद्यालय को कक्षा 01 से 08 तक के विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।
- (8) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक पूर्व आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। कक्षा-06 से 08 तक के समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण। विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना की गयी।
- (9) प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में विभिन्न रचनात्मक खेल खेलौने आदि गतिविधियां संचालित।
- (10) प्रदेश में वर्तमान में कुल 2,460 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,742 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय संचालित। प्रदेश में 1,297 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संचालित।
- (11) प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, अनुरक्षण, अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार संचालित। इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 589 पुस्तकालय कक्ष, 210 भौतिक/रसायन प्रयोगशाला, 128 जीव विज्ञान प्रयोगशाला, 1240 मल्टीपर्पज हॉल, 675 शौचालय, 1224 स्वच्छ पाइप पेयजल, 686 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 1135 चहारदीवारी एवं 211 विद्यालयों में विद्युतीकरण सुविधाओं से संतृप्त किया गया है।
- (12) पीएमश्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के 160 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया। विद्यार्थियों में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वीकृत 1,841 आईसीटी लैब तथा 101 अटल टिकरिंग लैब स्थापित एवं क्रियाशील।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (13) समग्र शिक्षा के अंतर्गत 39 नवीन हाईस्कूल, 14 नवीन कॉलेजों का निर्माण, नवीन 49 राजकीय हाईस्कूल एवं 09 राजकीय इण्टर कॉलेजों का संचालन प्रारम्भ, 59 बालिका छात्रावासों का संचालन, 1584 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम संचालित।
- (14) प्रदेश में कुल 330 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित। वर्तमान में प्रवेशित सीटों की संख्या 1.84 लाख हो गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं उनके कन्सोर्टियम द्वारा सी.एस.आर. के सहयोग से 149 आई.टी.आई., एक प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें 11 दीर्घकालीन न्यू एज कोर्स एवं 15 शार्ट टर्म कोर्सेज का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में 11917 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत।
- (15) अप्रेन्टिसशिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 1,06,000 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है एवं नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रतिपूर्ति संबंधित अधिष्ठान/अभ्यर्थी को की जा रही है। विगत 09 वर्षों 4 लाख से अधिक शिशिक्षुओं को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में सेवायोजित कराया गया।
- (16) प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय कुल 218 संस्थाएं शासन द्वारा स्वीकृत हैं, जिनमें 199 राजकीय एवं 19 अनुदानित हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 398 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना।
- (17) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ। 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु एक्सिलेंस सेन्टर स्थापित कराये जाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लि0 से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित।
- (18) प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन सत्र 2025-26 से समस्त विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित।
- (19) प्रदेश के समस्त राजकीय/अनुदानित मान्यता प्राप्त उच्चशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी कार्यों में सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना संचालित। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्रा को बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2026-27 हेतु रु0 3000 लाख का बजट स्वीकृत। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत उच्चशिक्षा की मेधावी छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने हेतु रु0 400 करोड़ का प्राविधान।
- (20) प्रदेश में नव स्थापित 71 नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना व संचालन। प्रदेश में कुल 24 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 57 निजी विश्वविद्यालय, 216 राजकीय महाविद्यालय, 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 7,526 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

19. समाज कल्याण:-

- (1) “मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना” के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 23,801 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2026-27 में अब तक 19,287 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 1,166 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित।
- (2) राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 08 सितम्बर, 2026 तक कुल 65,29,500 पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की गयी।
- (3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,36,455 लाभार्थियों को रु0 40936.50 लाख की आर्थिक सहायता।
- (4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 103 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2026-27 में 38,338 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।
- (5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति युगल विवाह हेतु धनराशि रु0 51 हजार से बढ़ाकर रु0 01 लाख कर दी गई है। वर्ष 2025-26 में 76,522 जोड़ों को तथा वर्ष 2026-27 में अब तक 17,761 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।
- (6) प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से वर्ष 2026-27 में अब तक 6,464 वृद्ध लाभान्वित।
- (7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक अनुसूचित जाति के 4,39,647 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 1,59,279 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2025-26 में अनुसूचित जाति के 12,44,775 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 7,82,840 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।
- (8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,88,863 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 189.52 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27,86,431 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 2882.02 करोड़ हस्तान्तरित।
- (9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,16,000 लाभार्थियों के खाते में रु0 232 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।
- (10) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22,407 ओ-लेवल एवं 6,784 सी0सी0सी0 कम्प्यूटर में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- (11) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूलभूत सुविधाओं आईटीआई, राजकीय इण्टर कॉलेज, पाइप पेयजल, सीवरेज, छात्रावास आदि

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

405 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2025-26 में 24 परियोजनाएं पूर्ण एवं वर्ष 2026-27 में 52 परियोजनाएं निर्माणाधीन।

(12) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,26,172 छात्र-छात्राओं को रु0 3,720 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 4,63,687 छात्र-छात्राओं को रु0 32,346 लाख की छात्रवृत्ति वितरित।

(13) प्रदेश में 12,23,295 दिव्यांगजनों को 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 13,667 लाभार्थियों को 3,000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित। विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र योजना के तहत अब तक कुल 20,86,504 दिव्यांगजन का यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीकरण तथा 17,51,000 दिव्यांगजन को पहचान पत्र निर्गत।

(14) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में 340 दिव्यांग होंगे लाभान्वित। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 1,060 दिव्यांगजन होंगे लाभान्वित। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में कुल 27,300 दिव्यांगजन होंगे लाभान्वित। प्रदेश में 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री-स्कूल रेडिनेस हेतु 25 जनपदों में बचपन डे-केयर सेंटर्स का संचालन।

(15) डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1,757 वहीं जनपद चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1,246 दिव्यांग छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

20. महिला एवं बाल विकास:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 से अब तक 2,074 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया तथा 1,03,350 से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया।

(2) “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 06 श्रेणियों में कुल रु0 25,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के आरम्भ से अब तक 28.44 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित। कुल रु0 716.26 करोड़ की धनराशि अंतरित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 3.68 लाख गतिविधियों के माध्यम से 294.50 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) ‘181’ महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 9.71 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के 75 जनपदों में 124 वन स्टॉप सेन्टर संचालित, जिसमें कुल 3,18,500 प्रकरणों में सहायता प्रदान की गई।

(5) जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु “रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष” की स्थापना। अब तक 19,334 पीड़िताओं को रु0 677.06 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 जनपदों में राजकीय महिला शरणालय, 01 राजकीय संरक्षण गृह, 01 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। वर्तमान में इन गृहों में 248 संवासिनी एवं 24 उनके बच्चे निवासरत हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 41 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(7) प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के अंतर्गत 13,924 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 8,085 बच्चों को लैपटॉप वितरित। “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)” के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक 1,09,539 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही।

21. राजस्व:-

(1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माह अगस्त, 2026 तक कुल 75,460 ग्रामों में कुल 1,20,14,259 घरों/नियां तैयार की जा चुकी हैं।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 4,34,016 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4,31,697 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 84005.08 हे0 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 25,068 राजस्व वाद, 1,168 सिविल वाद व 4,751 एफआईआर दर्ज कराई गई। 1,413 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित।

(3) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21,659 लाभार्थियों को रु0 1050 करोड़ वर्ष 2026-27 में माह अगस्त, 2026 तक 17,152 आश्रितों को लाभान्वित किया गया है।

(4) छः वर्ष में खतौनी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर खतौनी को अब 13 कॉलम के स्थान पर 19 कॉलम करते हुए इसे रियल टाइम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस हेतु 99.87 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

22. परिवहन:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर एवं रुपैंडिहा से नेपालगंज आदि स्थानों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बसों तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन के अंतर्गत उतराखण्ड, जम्मू-कश्मीर, चण्डीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बिहार व हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 बस स्टेशनों का शिलान्यास तथा 06 बस स्टेशनों का लोकार्पण। प्रदेश के विभिन्न मार्गों के महत्वपूर्ण स्थानों पर 305 बस स्टेशन संचालित। विभिन्न श्रेणी की 6644 साधारण डीजल बसें, 180 सीएनजी बसें, 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें, 269 एसी डीजल बसें, 20 एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर कुल 7313 बसें क्रय की गयी।

(3) असेवित गांवों को सेवित किये जाने हेतु 1,540 नये रुट्स का फार्मुलेशन एवं उन पर निगम बसें चलाये जाने हेतु 674 परमिट प्राप्त कर 358 मार्गों पर निगम की बसें तथा निगम द्वारा अनुबंधित 39 बसें संचालित।

(4) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु निगम की बसों में पैनिक बटन, स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस, एण्टी स्लीप डिवाइस, वीएलटीडी

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

डिवाइस स्थापित। परिवहन विभाग को भारत सरकार से स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रान्सपोर्टेशन में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत गोल्ड अवार्ड से सम्मानित।

(5) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2026 में 90.97 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से 2,366 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर आबद्धीकरण किया गया।

23. लोक निर्माण विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 37,018 किमी. लम्बाई के ग्रामीण मार्गों का निर्माण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 189 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1,438 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु0 2,505 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, जिसमें 170 कार्य पूर्ण। 38 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 293 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु0 446 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, जिसमें 37 कार्य पूर्ण।

(2) केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि से धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, नवनिर्माण विकास योजना के अंतर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के 1728.003 किलोमीटर के 424 कार्यों में से 179 कार्य पूर्ण। पी0एम0 गतिशक्ति के अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश के इण्डस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक पार्क को 04 लेन/न्यूनतम 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य। कुल 75 कार्यों में 21 कार्य पूर्ण।

(3) 376 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। 170 रेल उपरिगामी सेतुओं तथा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन चालू। 1,466 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों के विकास, जिसके क्रम में 2,877 किमी0 लम्बाई की 158 सड़कों में से 129 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) प्रदेश में 04 लेन के कुल 107 मार्ग लम्बाई 843 किलोमीटर एवं लागत रु0 15,672 करोड़ स्वीकृत, जिसमें 31 कार्य पूर्ण।

(6) मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिशिंग लिंक के निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 506 कार्यों में 171 कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए 5,604 किमी0 लम्बाई के कुल 70 नये राज्य मार्ग घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

24. पंचायतीराज:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में 2.18 करोड़ इज्जत घर/व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत कुल 61,23,106 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। 58,591 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। अब तक कुल 94,865 ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रबंधन के लिए विकास खण्ड स्तर पर 155 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित तथा गोबरधन योजनान्तर्गत 120 बायोगैस प्लांट स्थापित।
- (4) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 2,95,968 कम्पोस्ट पिट, घर-घर से कूड़ा संग्रहण हेतु 1,24,273 वाहन/हाथ गाड़ी की व्यवस्था सहित 52,847 अपशिष्ट प्रथक्कीकरण एवं संग्रहण केन्द्र स्थापित। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 4,12,505 सोक पिट, 6,12,485 नाला/नाली के साथ 54,980 ग्रे-वाटर मैनेजमेंट के संसाधन स्थापित।
- (5) प्रत्येक ग्राम पंचायत में शतप्रतिशत ग्राम सचिवालयों की स्थापना।
- (6) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित।
- (7) अप्रैल, 2026 से 10 सितम्बर, 2026 तक 102 कॉमन सर्विस सेंटर, 06 पंचायत लर्निंग सेन्टर, 03 पंचायत भवन का निर्माण।
- (8) मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृतक के आश्रित को निर्धारित धनराशि देने के प्रावधान के तहत कुल 20 आश्रितों को रु0 307.66 लाख की धनराशि दी गई।
- (9) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत अब तक 2,877 ग्राम पंचायतों को रु0 360 करोड़ की धनराशि से पुरस्कृत किया जा चुका है।
- (10) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत अब तक कुल 6,067 आश्रित परिवारों को कुल रु0 209.92 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति:-

- (1) उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी समृद्धि संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्रगतिशील सोच से होती है, यह भूमि कला, साहित्य, संगीत और धर्म की महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है प्रदेश का संस्कृति विभाग समृद्ध इतिहास के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास हेतु सतत प्रयासरत है, ताकि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।
- (2) उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतर्नियाघाट, विण्ढम, देवदरी-राजदरी, मुख्खा जलप्रपात आदि भारतीय एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) वर्ष 2024 में पर्यटकों के आगमन के आकड़ों के आधार पर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में रैंकिंग निर्धारित की गयी, जिसके अनुसार 30प्र0 घरेलू पर्यटक आगमन में प्रथम स्थान एवं विदेशी पर्यटक आगमन में चौथा स्थान प्राप्त हुआ।
- (4) वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में कुल 01 अरब 56 करोड़ 19 लाख 31 हजार 526 पर्यटक भ्रमण हेतु आये, जिसमें 01 अरब 55 करोड़ 74 लाख 23 हजार 503 भारतीय पर्यटक तथा 45 लाख 8 हजार 23 विदेशी पर्यटक शामिल थे। इस आंकड़े में प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में आये कुल 66 करोड़ 30 लाख पर्यटकों की संख्या भी शामिल है। वर्ष 2026 जनवरी से जुलाई उत्तर प्रदेश में कुल 58 करोड़ 38 लाख 88 हजार 689 पर्यटक भ्रमण हेतु आये, जिसमें 58 करोड़ 21 लाख 58 हजार 534 भारतीय पर्यटक और 17 लाख 30 हजार 155 विदेशी पर्यटक शामिल हैं।
- (5) स्वदेश दर्शन योजना-2 के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट योजना में संस्कृति एवं विरासत श्रेणी के अंतर्गत महोबा को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- (6) जिला योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के 14 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 17 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 06 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इको टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 2025-26 में इको टूरिज्म के विकास हेतु रु0 50 करोड़ का बजट प्राविधानित, जिससे 23 परियोजनाओं के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।
- (7) युवा पर्यटन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में युवा पर्यटन क्लब का गठन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप पर्यटन विभाग द्वारा एग्री रूरल एवं गंगे ग्राम रूरल टूरिज्म परियोजना के माध्यम से चयनित ग्रामों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है।
- (8) उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत 2,161 पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, जिनके सापेक्ष रु0 44240.08 करोड़ करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
- (9) अयोध्या दीपोत्सव-छोटी दीपावली के अवसर पर 19 अक्टूबर को अयोध्या में राम की पैड़ी पर 26,17,215 दीप जलाकर सरयू आरती करके एक बार फिर से वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया। इसी प्रकार देव दीपावली-काशी में 03 से 05 नवम्बर तक परम्परागत रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। रंगोत्सव-मथुरा में स्थित बरसाना में होली का आयोजन।
- (10) उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम-स्टे नीति-2025 प्रख्यापित। राज्य सेक्टर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन स्थापना सुविधाओं के सृजन एवं विकास हेतु रु0 119841.10 लाख की 575 परियोजनाएं स्वीकृत।
- (11) संस्कृति विभाग द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव-2025, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी शताब्दी वर्ष-2025, स्वामी दयानन्द सरस्वती शताब्दी समारोह-2025, अहिलाबाई होल्कर त्रि-शताब्दी वर्ष-2025 आदि विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (12) उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले 06 महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।
- (13) ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जो जीवन पर्यन्त कला एवं संस्कृति तथा साहित्य साधना में संलग्न रहे किन्तु वृद्धावस्था एवं निम्न स्वास्थ्य के कारण अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गये, उन्हें रु0 2000 की मासिक पेंशन दी जा रही है, जिसे रु0 4000 प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव है।
- (14) वाद्य यंत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को अब तक 8420 वाद्य यंत्र वितरित किया जा चुके हैं।
- (15) दानवीर भामाशाह जयन्ती को व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में मनायी गयी। स्मारकों के संरक्षण एवं देखभाल के लिए संस्कृति विभाग निरन्तर प्रयासरत है। वर्ष 2017 में राज्य में संरक्षित स्मारकों की संख्या 143 थी। वर्तमान में 2025 में यह संख्या 278 है। वर्ष 2027 तक 315 स्मारकों को संरक्षित करने का लक्ष्य है।
- (16) नवीन संग्रहालय परियोजन के अंतर्गत 2017 से पूर्व 11 संग्रहालय थे। वर्ष 2017 के बाद 22 संग्रहालय हो गये। इस प्रकार संग्रहालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

26. ग्राम्य विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 10.66 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 66,212 ग्राम संगठनों एवं 3,298 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 39,890 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए रु0 46 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व रु0 126.5 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया।
- (3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 28.16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं।
- (4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 36.56 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 36.39 लाख आवास पूर्ण। वर्तमान में 30प्र0 देश में प्रथम स्थान पर है।
- (5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।
- (6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 तक 4.72 लाख आवंटित आवास के सापेक्ष 4.59 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण। वर्ष 2026-27 हेतु 1.16 लाख घरों के आवंटन का बजट प्राविधान।
- (7) वीबी-जी राम जी/मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला श्रमिकों द्वारा 1,98,94,586 मानव दिवस सृजित कर महिला सहभागिता 44.66 प्रतिशत रही।
- (8) वीबी-जी राम जी/मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 445.62 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रु0 2510.57 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 23,77,529 परिवारों को मिला रोजगार।
- (9) प्रदेश में 20,102 अमृत सरोवरों का निर्माण करते हुए 30प्र0 देश में प्रथम।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत कुल स्वीकृत मार्गों में से 2,422 सड़कें पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन।
- (11) जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन लगभग 16 प्रतिशत है। 20वीं पशुगणना-2019 के अनुसार प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश, 330.17 लाख महिषवंश, 9.85 लाख भेड़, 144.80 लाख बकरी, 4.09 लाख सूकर एवं अन्य पशुधन सहित कुल 691.98 लाख हैं।
- (12) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,386 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 12,37,694 निराश्रित गोवंश संरक्षित। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत 1,14,481 पशुपालकों को अद्यतन 1,84,227 गोवंश दिये गये। उ0प्र0 चारा/आहार नीति-2024-29 के अंतर्गत प्रदेश में हरे चारे की कमी को पूर्ण करने हेतु पशुधन प्रक्षेत्रों/तहसील स्तर पर 230 हे0 क्षेत्रफल में सीड बैंक तैयार करने की योजना।
- (13) दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन 388.15 लाख मी0टन एवं अण्डा उत्पादन 611.08 करोड़ है। नन्दबाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गौवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु 'नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना' संचालित। वित्तीय वर्ष 2024-25 कि 188 नन्दबाबा पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित।
- (14) उद्यमिता विकास एवं निवेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 3,237 प्रोजेक्ट के एमओयू हस्ताक्षरित। जी0बी0सी0-2024 के अंतर्गत 563 इकाइयों के प्रोजेक्ट स्वीकृत, जिसके द्वारा रु0 2106.39 करोड़ का निवेश होगा।
- (15) बकरी पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में अनुदान-15 के अंतर्गत 739 बकरी इकाइयां स्थापित तथा वर्ष 2026-27 में 816 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य। भेड़ पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में 225 इकाइयां स्थापित एवं वर्ष 2026-27 हेतु 225 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य।
- (16) उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2022 के अंतर्गत 286 इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत। इसमें रु0 69572.18 लाख का अनुमानित निवेश एवं 44,480 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
- (17) चिकित्सा सुविधायें एवं रोग नियंत्रण के तहत वर्ष 2025-26 में खुरपका, मुंहपका के 4 करोड़ 73 लाख पशुओं का टीकाकरण, गलाघोंटू के 3 करोड़ 43 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट का संचालन।
- (18) प्रदेश में मछली उत्पादन में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि। मत्स्य विभाग में प्रथम बार आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2023 के पश्चात अब तक 76 निवेशकों के रु0 1033 करोड़ प्रस्ताव के एमओयू हस्ताक्षरित। मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो 2026 में रु0 1200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त, जिससे 1400 रोजगार सृजन होगा।
- (19) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत इन्लैण्ड सेक्टर में 31 परियोजनाओं का संचालन, 2763 हे0 तालाब का निर्माण, 482 हे0 रियरिंग इकाई, 1306 बायोफ्लॉक, 84 मत्स्य बीज हैचरी, 1304 आर0ए0एस0, 5151 बैकयार्ड आरएएस, 66 इंसुलेटेड व्हीकल, 550 मोटर साइकिल, 144 थ्री-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्हीलर, 2727 साइकिल, 140 कियोस्क, 181 जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र, 1131 केज, 235 फीड मिल, 09 मोबाइल लैब और 24 ऑर्नामेंटल रियरिंग यूनिट के कार्य पूर्ण कराये गये।

(20) निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत अब तक 2,455 मछुआरों को लाभान्वित किया गया।

(21) मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत ग्राम सभा/अन्य पट्टे के सुधारे गये तालाबों में अब तक 1922.91 हे० तालाबों में 2,270 मत्स्य पालकों को निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(22) मत्स्य पालकों के लिए संचालित किसान क्रेडिट योजना के तहत अब तक 19,345 किसान क्रेडिट कार्ड जारी।

(23) वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य कृषकों के विकास हेतु मोती संवर्धन, विशिष्ट प्रजाति की हैचरी स्थापना, खारे जल में तालाब निर्माण एवं झींगा बीज रियरिंग यूनिट के लिए योजना प्रारम्भ, जिसके तहत जनपद गोरखपुर और मुरादाबाद में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

27. वन एवं पर्यावरण:-

(1) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता से प्रदेश में 40 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये जा चुके हैं। इस प्रकार विगत 09 वर्षों में 282 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये गये।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों द्वारा उगाये गये वृक्षों द्वारा अर्जित कार्बन क्रेडिट के स्थान पर धनराशि उपलब्ध करवाने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य। प्रदेश में विगत 09 वर्षों में हरित आवरण में 3 लाख 38 हजार एकड़ वृद्धि हुई है।

(3) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत समृद्धि वन, समरस, कपिवन, ऊर्जा वन, महर्षि चरक औषधि वन सहित विभिन्न वनों की स्थापना की गयी है।

(4) प्रदेश में वनावरण 3.72 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय औसत 3.52 प्रतिशत है। प्रदेश के वनों में संचित कार्बन 2.46 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.13 प्रतिशत से अधिक है।

(5) नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश में गंगा-यमुना व सहायक नदियों के जलागम क्षेत्र व तटों पर अविरल धारा वृक्षारोपण के अंतर्गत पौधरोपित। जनपद मथुरा में 36 पौराणिक वनों के पुनः प्राकट्य हेतु इको रेस्टोरेशन तथा पौधरोपण किया गया। निर्धन, निर्बल वंचित वर्गों को सहजन व आम के पौधे निःशुल्क वितरित।

(6) विगत 09 वर्षों में पटना पक्षी विहार, शेखा झील व सुरहा ताल को शामिल करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के 12 वेटलैण्ड्स रामसर साइट घोषित। प्रदेश 13 रामसर साइट्स के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में 16 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 07 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी, 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं प्रादेशिक दल अधिकारी, 02 खिलाड़ियों को जिला पंचायत राज्य अधिकारी, 01 खिलाड़ी को खण्ड विकास अधिकारी एवं 01 खिलाड़ी को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता कुल 15 खिलाड़ियों को रु0 1.64 करोड़ वितरित।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए रु0 38853.75 लाख की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य प्रगति पर। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा कराया गया है। जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 21 जनपदों में खिलाड़ियों के लिए 44 छात्रावास संचालित।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 126 स्टेडियम/मल्टीपर्पज हॉल स्थापित। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 96 हजार युवक/महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण। विवेकानन्द यूथ अवार्ड में मंगल दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 01 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही। व्यक्तिगत श्रेणी के राज्यस्तरीय विवेकानन्द यूथ अवार्ड में 10 युवाओं को रु0 50 हजार नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, शाल व प्रशस्ति पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के गठन के पश्चात अब तक कुल 18 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 07 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

(6) इंडिया स्किल्स कम्पटीशन 2026 के अंतर्गत 30प्र0 ने अभूतपूर्व रिकार्ड 1,09,249 युवाओं के पंजीकरण के साथ देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

29. सूचना विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, ई-संदेश, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा बृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) 30प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार। विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल एवं सूचना विभाग का यू-ट्यूब चैनल सूचना प्रवाह का शुभारम्भ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

- (1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में 6,798 इकाइयों की स्थापना से 1,32,529 लोगों को रोजगार मिला। वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों की स्थापना एवं 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 289 इकाइयां स्थापित कर 7906 व्यक्तियों को रोजगार मिला।
- (2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 31,297 इकाइयां स्थापित करते हुए 3,14,955 लोगों को मिला रोजगार। पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर 536 संस्थाओं का पंजीकरण तथा प्रदेश की खादी संस्थाओं में कार्यरत 1,69,000 कतिन/बुनकरों का बैंकों में खाते खुलवाकर आधार लिंक कराया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 200 खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं एवं 37,789 कतिनों को लाभान्वित किया गया।
- (3) उद्यमियों के समक्ष उद्योग स्थापना में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर ग्रामोद्योग सेल एवं जनपदीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित। साथ ही वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप भी विकसित।
- (4) टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत 633 लाभार्थियों को दोना मेकिंग मशीन के वितरण से 1,899 व्यक्तियों को मिला रोजगार। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 600 लाभार्थियों को पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन वितरित कराकर 1,800 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य।

31. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

- (1) समस्त खनिज सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाते हुए ऑनलाइन निस्तारण के लिए यूपी माइन्स मित्रा पोर्टल minemitra.up.gov.in विकसित।
- (2) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 10 सेवाएं प्रदत्त। कुल 4,72,753 आवेदन निस्तारित।
- (3) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 62 चेकगेट, 1,53,942 माइन टैग लगे वाहन और कुल निर्गत ई-नोटिस 2,46,915 के सापेक्ष कुल ₹0 7,78,52,80,007 की धनराशि की वसूली।

32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-

- (1) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को ₹0 500 प्रतिमाह के स्थान पर 01 नवम्बर, 2024 से ₹0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 2018 से 30 जुलाई, 2026 तक 31.49 लाख क्षय रोगियों के खाते में ₹0 1025.60 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया। 1,09,856 निःक्षय मित्रों द्वारा 14,63,793 पोषण पोटली किट वितरित।
- (2) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 5.75 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। अब तक 103.02 लाख

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लोगों का निःशुल्क उपचार। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 2,907 सरकारी व 3,561 निजी कुल 6,468 चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं।

(3) प्रदेश में '108' ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेंस सेवा की 2,200 एम्बुलेंस संचालित। 375 ए0एल0एस0 एम्बुलस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। '108' एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से माह जून, 2026 तक 4,31,62,532 करोड़ से अधिक रोगी उपचारित। '102' एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत प्रदेश में कुल 2270 एम्बुलेंस क्रियाशील।

(4) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। प्रदेश के 227 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीरेडियोलॉजी सेवा संचालित, इसके तहत लगभग 46,03,529 मरीज लाभान्वित।

(5) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में संचालित।

(6) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 99 प्रतिशत एवं मृत्यु दर में शत प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 99.85 प्रतिशत एवं मृत्यु दर में शत-प्रतिशत की कमी आयी है।

(7) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत वर्ष 2026-27 में माह मई 2026 तक कुल 2,110 इकाइयों पर 16,880 कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें 31,660 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 71409 आंगनबाड़ी केन्द्र/स्कूलों में 47.51 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण।

(8) महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय गोरखपुर आयुष शिक्षा प्रवेश तथा परीक्षा प्रणाली के एकीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता के नियमन तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में उत्कृष्ट अनुसंधान को प्रोत्साहन देते हुए संचालित। 231 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण व संचालित। 216 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 154 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 25 राजकीय यूनानी चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माणाधीन।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 02 राजकीय यूनानी महाविद्यालय, 09 राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित।

(10) प्रदेश में 1,034 आयुष आरोग्य मंदिर एवं 225 योग वेलनेस सेन्टर संचालित।

(11) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 85 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। वर्तमान में सरकारी/निजी क्षेत्र के संचालित मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की कुल सीटें 13,600 से अधिक हो गई हैं।

(12) कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में कुल 320 बेड क्रियाशील हैं।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 26 हो गई है तथा 33 नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं।

33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।

- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।
- (3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (4) वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 26,17,215 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।
- (5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
- (6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।
- (7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (8) कौशल विकास नीति को लागू करने तथा सेवायोजित कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।
- (9) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- (10) 08 एक्सप्रेस-वे एवं 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।
- (11) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।
- (12) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 40 करोड़ से अधिक पौधों का रिकॉर्ड रोपण।
- (13) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- (14) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।
- (15) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
- (16) ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।
- (17) ई-अभियोजन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

.....

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



डॉ. स्मिता बिदानी
उप सचिव

Dr. Smita Bidani
Deputy Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: +91-11 23604422
E-mail : smitabidani.ugc@nic.in

F.No. 2-50/2023(CPP-II)(C.130968)

06 अश्विन, 1948 /30th September, 2026

सेवा में,

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।

Subject: Observance of Swachhata Hi Seva (SHS) Campaign 2026 from 17th September to 17th October, 2026 – reg.

आदरणीय महोदय/महोदय,

Kindly refer to the communication received from the Department of Drinking Water and Sanitation (D/o DW&S), Ministry of Jal Shakti (copy enclosed), regarding the स्वच्छता ही सेवा (Swachhata Hi Seva) Campaign 2026, scheduled to be observed from 17th September to 17th October, 2026, with the theme "Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat."

The Campaign has been observed since 2017 with the objective of strengthening volunteerism and collective action for Swachhata, exemplifying the "Whole of Society" and "Whole of Government" approach by bringing together citizens, institutions and leadership at all levels. The Swachh Bharat Diwas celebrations will be held on 2nd October, 2026.

The key focus areas of the SHS 2026 Campaign are as follows:

1. Transformation of Cleanliness Target Units (CTUs) & Clean Public Places
2. Swachh Paathshala: Yuva for Swachhata
3. SafalMitra Suraksha Evam Samman Shivr
4. Jan Bhagidari for Swachhata
5. Swachhata se Samridhi

In addition, the following activities are scheduled as under:

1. 01.10.2026 (8:00 AM): एक दिन, एक घंटा, एक साथ (Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath)
2. 02.10.2026: Swachh Bharat Diwas

Contd.

HEIs may also leverage their official social media platforms for wider dissemination by tagging the official handles @SwachhBharatGov, @SwachhBharat, @MoHUA_India, @MoJSDDWS and @EduMinOfIndia, and using the campaign hashtags #SHS2026 and #SwachhataHiSeva2026.

A copy of presentation and Campaign Guidelines are enclosed for reference.

A short AV on broad components of SHS 2026 which could be used for various preparatory activities may be accessed at <https://drive.google.com/drive/folders/1akIEvohyJYhRRJAVr9C8dtJxah3YKBAC>

All HEIs are requested to take all necessary steps to make this campaign a grand success.

सादर,

भवदीया,


(स्मिता विदानी)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

Ashok K. K. Meena, IAS
Secretary
Government of India
Department of Drinking Water &
Sanitation
Ministry of Jal Shakti



Satendra Singh, IAS
Secretary
Government of India
Department of Urban Development
Ministry of Housing and Urban Affairs

D.O. No.: S-18020/47/2026-SBM-II-DDWS

Date: 7th September 2026

Dear colleague,

Swachhata Hi Seva (SHS) has been observed since 2017 to strengthen voluntarism and collective action for Swachhata. This annual campaign has been exemplifying the 'Whole of Society' and 'Whole of Government' approach for Swachhata, bringing together citizens, institutions and leadership at all levels.

2. This year too, SHS- 2026 is being jointly organized by Department of Urban Development (DoUD), Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), Ministry of Jal Shakti (MoJS). The campaign will begin from **17th September 2026, culminating on 2nd October 2026**, being observed as Swachh Bharat Diwas. This year's theme, '**Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat**' underscores the collective role and responsibility of every individual in driving the vision and Sankalp of a Swachh and Viksit Bharat.

3. The key focus areas of the SHS- 2026 campaign are:

- i. **Transformation of Cleanliness Target Units (CTUs) & Clean Public Places:** Wherein difficult and dirty spots, high-footfall public places will be identified, mapped and cleared in a time bound manner.
- ii. **Swachh Paathshala: Yuva for Swachhata:** Engaging and sensitizing school students, youth for Swachhata through '**Swachhata Gyan Yatra**' - exposure visits to Solid Waste Management facilities and '**Swachhata Evam Jal Sanchay Samvad**'- interactions, debates, conversations on coming together for Swachhata, rainwater harvesting and water management.
- iii. **SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivir:** Single window camps for SafaiMitras/ Swachhagrahis/ Sanitation workers for providing linkages for those eligible under various Central/State welfare schemes, preventive health checkups, distribution of PPE Kits/ Safety gears etc., Local level felicitation of SafaiMitras/ Swachhagrahis/ Sanitation workers as recognition of their contribution towards Swachhata.
- iv. **Jan Bhagidari for Swachhata:** Door-to-door awareness drives and citizen engagement initiatives for awareness generation on **SWM Rules, 2026** & promotion of 4- way source segregation & composting; **Sports for Swachhata**-local/regional sports competitions as a platform to spread the message of Swachhata as a way of life; **Swachh Parv, Harit Parv**- eco-friendly celebrations during festivities; Plantation drives under '**Ek Ped Maa ke Naam**'; Special activities on World Tourism Day (27th September 2026); **Special Gram Sabhas and Special Council Meetings on Swachh Bharat Diwas** (2nd October 2026).
- v. **Swachhata se Samridhi:** Promoting and strengthening circular economy through '**Kabaad se Jugaad- Waste to Wealth**' and '**Kabaad se Kala- Waste to Art**', old books/toys/clothes donation drives/RRR, BWG connect through Plastic Recycling Melas.

4. The detailed campaign guidelines are enclosed at **Annex- I**. An indicative calendar has also been included in the Guidelines that may be referred to by Ministries/Departments to schedule activities under SHS-2026. However, Ministries/Departments can also organize various activities under the five pillars as per their convenience and schedules, within the campaign period.

5. Further, if so desired, Ministries/Departments may adopt an additional, Ministry-specific theme aligned to their focus areas, in addition to the National Theme for SHS-2026. This is not mandatory.

6. A simultaneous, nationwide shramdaan, 'Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath' will be convened on **1st October, 2026**. Like previous years, this will be an occasion where crores of people from various walks of life come together for focused shramdaan to contribute one hour of voluntary swachhata service.

7. States/UTs/constituencies, where the areas are affected by flooding/natural calamities, may take up SHS activities based on ground conditions. Care may be taken to club swachhata, sanitation and hygiene with flood relief and rehabilitation measures.

8. In view of the same, Central Ministries/Departments are requested to:

- i. Assign a Nodal Officer of the rank of Joint Secretary or equivalent to coordinate SHS-2026 on behalf of the Ministry/Department. The contact details of the Nodal Officer should be communicated **by 10th September, 2026** to Ms. Surabhi Malik, Director, SBM-Urban (surabhi.malik@ias.gov.in) & Mr. Amit Choubey, Deputy Secretary, SBM (Gramin) (amit.choubey@nic.in).
- ii. Mobilize all CPSEs/ subordinate offices/ field units / institutions under the Ministry during the SHS-2026 fortnight for the activities at para (3) above.
- iii. Every Ministry / Department should ensure all their Institutions/ Organisations/ CPSEs/Campuses under their jurisdiction take a special cleanliness drive during the campaign period.
- iv. Promote partnerships with private sector organizations, NGOs, CSOs, Corporates, philanthropists and other related stakeholders etc.
- v. Plan an effective advocacy strategy and ensure due promotion of activities undertaken during SHS-2026.
- vi. Reporting of activities during SHS-2026: Activities undertaken during SHS-2026 are to be uploaded **on daily basis** on the specially curated IT Portal for SHS-2026 (<https://swachhatahaseva.gov.in/>). This will be compiled for the national level reporting of the campaign. Details and login credentials for the same will be shared subsequently with the identified Nodal Officers. IT trainings will be provided for Nodal Officers and local bodies, Central Ministries, CPSEs and other stakeholders.

We look forward to your personal leadership and support in making this campaign a resounding success.

With regards,

Encl: As above


(Ashok K. K. Meena)
Secretary, DDWS, MoJS


(Satendra Singh)
Secretary, DoUD, MoHUA

To,

All Secretaries of Ministries of Central Government

Guidelines on Swachhata Hi Seva 2026

I. Background:

To offer tribute to the Mahatma on his Jayanti, 2nd October is observed as Swachh Bharat Diwas. As a prelude to that, to strengthen voluntarism and collective action for Swachh Bharat, a fortnight of 'Swachhata Hi Seva' (SHS) has been observed since 2017. The annual 'Swachhata Hi Seva' (SHS) campaign is held from 17th September - 2nd October (Swachh Bharat Diwas) to mobilize widespread citizen action & ownership for Swachhata.

The theme for SHS 2024 was 'Swabhav Swachhata, Sanskaar Swachhata', which has since been adopted as one of the core principles and guiding ideologies of the Mission. Building upon this core principle, SHS 2025 focused on 'Swachhotsav' and the spirit of clean festivities and community celebrations. For SHS 2026, besides the regular pillars, the campaign also aims to create awareness on and emphasize roles and responsibilities of various stakeholders for the Solid Waste Management Rules, 2026, strengthen participation of students and youth for Swachhata and leverage collective ownership & Jan Bhagidari to drive our vision and *sankalp* of a Swachh and Viksit Bharat.

II. Swachhata Hi Seva- 2026: The Campaign

2.1 Campaign Period

The campaign will be organised from 17th September – 2nd October 2026.

2.2 Campaign Theme

SHS- 2026 will focus on the theme '**Swachhata Mein Sahbhag; Swachh Bharat, Viksit Bharat**' in a 'Whole of Government' and 'Whole of Society' approach.

2.3 Important Notice: Flood Affected States/UTs

States/UTs affected by flooding/natural calamities may keep the spirit of seva and swachhata at the core of all disaster relief works by incorporating the highest standards of hygiene maintenance for the prevention of diseases.

If ground conditions permit, such States/UTs may also carry forward SHS 2026 activities.

III. Key Campaign Pillars

As part of SHS 2026, the following **five pillars of activities** are requested to be carried out by local bodies, States/UTs, Ministries, line departments and CPSEs:

1	Transformation of Cleanliness Target Units (CTUs) & Clean Public Places
2	Swachh Paathshala- Yuva for Swachhata
3	SafaiMitra Suraksha Seva Evam Samman Shivir
4	Jan Bhaagidari for Swachhata
5	Swachhata Se Samriddhi

IV. Proposed Indicative SHS 2026 Calendar

To encourage structured implementation and focused citizen participation, the following is an **indicative, chronological thematic calendar** with multifarious elements that may be used for devising a dedicated campaign plan during Swachhata Hi Seva 2026. The States /UTs, Urban/Rural Local Bodies and concerned Central Ministries/Departments may conduct any or all of the below-mentioned indicated activities under each pillar, preferably on the below-mentioned dates, to showcase a collective approach to swachhata at scale.

However, Ministries, Departments and States/UTs may finalise their campaign and day-to-day plans as per their convenience and ground situations/focus areas, in alignment with the respective SHS Pillars outlined above, during the campaign period from 17th September to 2nd October 2026:

S.No.	Date	Activity	Activities By
1.	17 th – 18 th Sept.	Swachh Paathshala- Yuva for Swachhata i. Awareness/Demonstration Activities for SWM Rules, 2026 and 4 – way source segregation. ii. Swachhata Gyan Yatra - exposure visits of school students (preferably class 6 to 12) and youth to SWM/ SLWM and other SBM assets iii. Swachhata Evam Jal Sanchay Samvad - interactions, debates, conversations on coming together for Swachhata, rainwater harvesting and water management iv. Political Leadership, School Principals, Eco-clubs, MyBharat volunteers etc to be engaged	Citizens Pol. Leadership Institutions

		v. Promotion of Reduce, Reuse, Recycle (RRR) Mantra; donation of books, toys, clothes, shoes, gadgets/ electronic items etc for recycling/ reuse vi. Wall Paintings/ Thematic Art competitions	
2.	19 th – 20 th Sept.	Timebound Transformation of Cleanliness Target Units (CTUs)/ Garbage Vulnerable Points (GVPs) i. Time bound identification, cleanup & transformation of GVPs/ CTUs ii. Site Beautification, promote selfies and social media engagement with the citizens iii. Involving political leadership, local eminent citizens, retired paramilitary and armed force personnel, Padma Awardees, youth ambassadors, local NGOs, CSOs, development partners etc.	Citizens Institutions
3.	21 st – 22 nd Sept.	Clean Public Places Focus on cleanliness in High Footfall & Tourist Sites, Bazaar/ Market Areas/Haats, Mohallas/ Neighbourhoods, Offices, Educational institutions, Health centres and hospitals, Public and Community Toilets/Community Sanitary Complexes: i. Cleanliness drives at railways stations/airports/bus stands/ taxi stands/sports complexes, public parks, markets, zoos & sanctuaries, roads and highways, ports and other key high footfall areas; Bazaar/Market Areas/Village Haats i. Street food vendors and buyers ensure clean bazaars (4-way segregation, plastic-free, litter-free) ii. Carry your own bag awareness drives iii. No red and yellow spot drives- Advocacy on non – littering of gutka/ pan masala sachets / other Multi-Layer Plastics (MLPs) / cigarette butts etc. (as applicable) iv. Awareness on SWM Rules, 2026 Mohallas/ Neighbourhood i. RWAs and mohallas / rural bodies keeping neighbourhood clean ii. Registration drives of RWAs/ rural bodies as BWGs Public Toilets /Community Sanitary Complexes i. Use, maintain public toilets/CSCs, promote user feedback ii. Promote awareness of Do's and Don'ts; Use Karo Flush Karo and increased use of public toilets iii. Review O&M arrangement of CSC/Public Toilets in rural areas; Cleanliness drive at Public Toilets/ CSCs Water Bodies i. Cleanliness drives at lakes rivers/ghats, tourist-centric beaches, oceans, drains/ nallahs ii. Rejuvenation of stepwells, ponds, small river streams, Amrit Sarovar etc.	Citizens Institutions

		Offices - Promote segregation & recycling in offices - Offices adopt clean desks & clean campus norms - Promote use of digital documents & minimum prints, use of digital banners in events - Reusable bottles and cups in meetings and conference rooms	
4.	23 rd - 24 th Sept.	Jan Bhagidari Advocacy drives for: (i) SWM Rules, 2026 (ii) 4 – Way Waste Segregation under SWM Rules, 2026: Ab Do Nahi Chaar, (iii) Home Composting (iv) Say No To Plastics and (v) Reduce Reuse Recycle Drives - Door-to-Door Awareness by Political Leadership, ULBs/RLBs, stakeholders and Other Unique Awareness Drives - Promote Home composting awareness and compost distribution drives - Advocacy on No Littering in public places - Say no to single-use plastics: Promote use of Cloth Bag for Shopping - Say no to disposable cups, cutlery & carry steel/glass bottles, tumblers/mugs for beverages Sports for Swachhata. Local/regional sports competitions as a platform to spread the message of Swachhata as a way of life. Zero waste Sports competitions to be organized in schools, colleges, Gram Panchayats, RWAs, Ministries, Departments etc., with a focus on traditional/ local sports. - Rejuvenation of Neki Ki Deewar/ RRR Centers – Tie up with local NGOs/ CBOs/ Partner Organizations; - Collection drives for used clothes, books, toys, and other household items. Partnering with local NGOs/SHGs for repair, reuse, redistribution, or recycling, promoting circularity	Citizens Pol. Leadership Institutions
5.	25 th -26 th Sept.	Sports for Swachhata & Post – Event Cleanliness - Post Ganesh Visarjan cleanliness at banks/ ghats & surrounding areas - Composting of flower waste/ offering materials - Zero-Waste Sporting competitions to be organized in schools, colleges, Gram Panchayats, RWAs, Ministries, Departments etc., with a focus on traditional/ local sports, followed by a collective cleanliness drive of sports ground/maidaan .	Citizens
6.	27 th Sept.	Clean Tourist Sites: World Tourism Day Swachh Tourist Spots – Cleanliness drives and focused interventions for swachhata by the community at high footfall areas/Tourist Destinations/Pilgrim Centres, including Swachh Iconic Places; Rejuvenating these local tourist sites as possible sources of revenue generation for the local community/ULB/RLB	Citizens Institutions

		ii. Cleanliness of Community Sanitary Complexes/public toilets., including those at above tourist destinations. iii. Illumination of the ASI Sites/ Key Monuments (preferably with <i>Swachhata Hi Seva</i> Message); iv. Advocating and promoting responsible tourism and good civic behaviour at these sites;	
7.	28 th – 29 th Sept.	Swachhata Se Samridhi Advocacy about sustainable habits of Reduce, Reuse and Recycle, Say No to Single Use Plastics, and inculcate importance and value of the waste i.e., 'Waste is Wealth' and 'Waste to Art' i. <i>Kabaad Se Jugaad</i>- transformation of waste items of use ii. <i>Kabaad Se Kala</i>- transformation of waste into pieces of art; Local Art colleges may also be included in this activity. iii. Plastic Recycling Mela – BWGs – Recycler Connect at common place (Urban Areas) iv. Reuse and Recycling Drives v. Assessing & strengthening of forward linkages for Rural Plastic Waste Management Units (PWMUs) Note: ✓ States/UTs invite entries, promote participation, showcase the best creations at suitable locations and recognize outstanding contributors. Selected entries at State level may be suitably felicitated (non-monetary)	Citizens Institutions
7.	30 th Sept.	SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivr i. Conduct single window health checkups for SafaiMitras & their dependents ii. Facilitating the linkage of eligible beneficiaries to social welfare and social protection schemes; providing protective gear to <i>Swachhagrahis</i> iii. A day with Safaimitras: Felicitate sanitation workers, interaction / <i>charcha</i> / games, challenges/ Thank You Signboards/ Banners at key locations.	Institutions Pol Leadership
8.	1 st Oct.	Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath i. Collective Action for Voluntary <i>Shramdaan</i> across the country ii. Political leadership to lead the initiative and join from respective constituencies / site of their choice	Citizens Pol Leadership Institutions
9.	2 nd Oct.	Swachh Bharat Diwas i. Special Gram Sabhas in Rural Areas- focused discussions on activities conducted during SHS 2026; awareness generation on SWM rules, 2026 and roles & responsibilities of RLBs; ii. Awareness generation on <i>Swachh Seva Aankalan</i> for Rural areas iii. Special Council Meetings in Urban Areas iv. Plant trees, planters, shrubs etc. at the cleaned GVPs/CTUs to nurture urban greens under Ek Ped Maa Ke Naam on 2nd Oct. 2026	

V. Cleanliness Target Unit Transformation & Clean Public Places

As part of SHS 2026, all Ministries, States/UTs, Districts, Rural/Urban local bodies, line departments and CPSEs are requested to initiate Cleanliness Target Unit (CTU) transformation at the commencement of the campaign and continue the activities till their complete transformation with a focus on its sustained cleanliness. Additionally, they may also plan and undertake cleanliness drives across high-footfall public places within their respective jurisdictions including dumpsites at rural areas as CTU. The aim is to ensure visible cleanliness through citizen participation, responsible waste management, beautification of public spaces and adoption of sustainable practices, with a special focus on improving the operations and maintenance of public and community toilets in urban areas to ensure that they always adhere to the 'FACES' parameters (Functional, Accessible, Clean, Eco-friendly, Safe).

5.1 CTU Transformation



What is a Cleanliness Target Unit?

- a) Generally neglected garbage points including smaller legacy dumpsites in rural areas
- b) Difficult to clean as part of regular swachhata / cleanliness drives
- c) Posing environmental, health & hygiene risk

Local bodies are requested to **begin all CTU transformation activities at the beginning of SHS 2026**, and continue them as required, depending on the nature and extent of waste accumulation, resources & time required for its complete transformation.

A) Identification and Selection of CTUs by Local Bodies/Ministries/Departments

Rural and Urban Local Bodies, CPSEs and Ministries/Departments should identify the dirtiest, **most difficult and neglected garbage spots** for targeted and time-bound transformation in their areas/jurisdictions. The success of the CTU initiative will depend

on the correct identification of sites that require focused intervention. The following approach may be adopted:

- For small villages/local bodies, at least one difficult black spot may be identified per ward/Gram Panchayat, wherever feasible. This may also include a dumpsite in rural area.
- For larger villages/local bodies, it is recommended to pick up as many difficult spots as possible to ensure visible cleanliness.
- Ministries and Departments may take up CTU Identification within their jurisdictions; e.g. Railway Tracks, C&D waste dumps along highways; CTUs within school or hospital premises, etc.

Identification of CTUs by citizens - Use of Swachhata App (for urban areas):

Swachhata App is designed to report and resolve grievances related to sanitation, garbage disposal etc. During SHS 2026, Citizens, resident groups, NGOs, CSOs, partner organisations and community institutions must be encouraged to identify neglected and difficult garbage spots in their surroundings through the Swachhata App. These may then be added to the CTUs identified by ULBs and uploaded on the SHS portal for reporting.

B) Mapping of CTUs on the SHS 2026 Portal

The SHS 2026 portal will serve as a one-stop interface for Union Ministries, State Governments, Districts and local bodies to identify and map CTU sites. Once a black spot has been identified and selected for targeted cleaning, it should be mapped on the SHS 2026 portal as a **Cleanliness Target Unit (CTU) / स्वच्छता लक्षित इकाई**. All relevant details of the identified CTU should be uploaded on the portal, as prescribed.

All CTUs to be geo-located on the IT Portal by 15th September 2026

C) Adoption of CTU Sites and Partnerships

To ensure timely transformation of mapped CTUs, local bodies and Ministries/Departments may explore and establish partnerships with a diverse range of entities. These may include CPSEs, Private sector companies, CSR groups, NGOs, RWPF partners, CSOs, start-ups and technology firms etc to support technical expertise, comprehensive management of CTU sites, waste removal and transportation, site transformation, beautification, and post-transformation maintenance.

D) CTU Site Preparedness & Time-Bound Execution

Alongside geo-tagging and mapping of identified CTU sites, local bodies should undertake the following indicative comprehensive preparatory activities:

- ✓ Assess waste accumulation at each CTU;
- ✓ Upload relevant details on the SHS 2026 portal;
- ✓ Assess manpower & machinery requirements;
- ✓ Encourage private organisations and CPSEs to adopt CTU sites;
- ✓ Arrange safety gear, first-aid kits and PPE;
- ✓ Provide drinking water for volunteers; adequate safety arrangements at CTU sites.
- ✓ All local bodies, Ministries and line departments are encouraged to submit '**Before & After**' photos of CTU via the SHS 2026 portal.
- ✓ Additionally, all CTU sites undergoing transformation may also reflect the common SHS 2026 branding during the period of operations.

Under no circumstance, CTU clearance should lead to the creation of other local garbage points / dumpsites.

E) Community & Political Leadership Participation in CTU Transformation, Beautification & Maintenance

Local bodies are requested to facilitate community participation of citizens, resident groups, youth, students, NGOs, CSOs, SHGs, RWAs and other community-based organisations for site transformation and beautification of reclaimed CTU spots through:

- **Local mobilisation:** Local bodies may issue advance announcements across wards/Gram Panchayats regarding CTU cleanliness drives, clearly indicating the location, date, time and nature of the activity, to enable citizens to participate.
- **Social media and digital platforms** can be mobilized to regularly disseminate information on CTU activities.
- **Reclaimed Site Beautification:** Following CTU clearance, innovative citizen-led beautification activities at reclaimed sites are encouraged such as wall paintings, Waste-to-Art installations, to reflect local culture, festivals, messages on 4 – way source segregation, no littering, no spitting, no use of Single Use Plastic etc.
- **Recognition of participation:** Exemplary contributions by citizen groups, volunteers, students, NGOs, SHGs and other community organisations should be recognized at appropriate forums.
- **Site Maintenance:** Local communities must be encouraged to take responsibility & ownership of transformed sites which includes monitoring to prevent re-dumping and re-accumulation of waste, and supporting beautification activities beyond SHS 2026. **Local bodies, Ministries & line departments are encouraged to facilitate participation of political leadership for CTU site beautification during SHS 2026.**

5.2 Clean Public Spaces

Clarifying the difference between Public Places & CTU sites

It may be noted that CTUs (as defined above) and public places are to be classified separately to ensure targeted interventions under SHS 2026.

Public places refer to functional spaces with high and recurrent citizen footfall and institutional activity, including offices, schools, health institutions, railway stations, citizen-centric beaches, sports facilities, airports, places of worship, and hospitals, where cleanliness is critical for public health, safety, and service delivery.

As part of SHS 2026, citizens and community organizations may be encouraged to actively participate in cleanliness and swachhata activities across high-footfall public spaces to ensure visible impact and sustained behaviour change. It is requested that cleanliness drives be undertaken across all establishments and key public areas, to ensure visible impact and Jan Bhagidari. These may include:

- **Offices, Institutional & Government Establishments:**

All Government offices, CPSEs, autonomous bodies, courts, all institutional & public buildings.

- **Commercial & Economic Hubs:**

Commercial and market areas including *haats*, *mandis*, *bazaars*, shopping complexes, industrial areas, and street vending zones.

- **Public Spaces & Urban Infrastructure:**

Parks, playgrounds, open spaces, community halls, anganwadis, mohallas, neighbourhoods, sports complexes, and residential colonies/RWAs.

- **Educational & Health Institutions:**

Schools, colleges, universities, coaching centres, hospitals, PHCs, CHCs and other healthcare facilities.

- **Transport & Mobility Hubs:**

Public transport hubs, major roads & highways, railway stations, railway tracks and premises, bus stops, metro stations, airports, ports, toll plazas and parking lots.

- **Ecological & Natural Sites:**

Sanctuaries, zoos, protected areas, forests, trekking & camping sites, and hills.

- **Water Bodies**

Rivers, lakes, ponds, canals, drains, nallahs, waterfronts, tourist-centric beaches, small river streams and Amrit Sarovar.

- **Tourism, Culture & Faith:**

Tourist places, heritage sites, museums, pilgrim centres, religious places, melas and festival grounds.

- **Community Sanitary Complexes, Public & Community Toilets:**

Community Sanitary Complexes, public toilets, aspirational toilets, community toilets, public bathing spaces etc.

Particular attention should be given to ensuring that cleanliness drives do not result in temporary relocation of waste to another location.

5.3 Clean Public & Community Toilets/ Community Sanitary Complexes:

A) Nudging User Behaviour, Citizen-Led Grievance & Vigilance

Citizen-led groups may be encouraged to undertake activities that promote positive toilet-use behaviour and greater ownership of these assets. These activities may include awareness campaigns on healthy toilet habits and promotion of responsible use and upkeep.

Local bodies are encouraged to motivate citizen groups, NGOs, CSOs, SHGs, CPSEs and other stakeholders to submit grievances and participate in a collaborative functionality assessment. This includes:

- Assessing cleanliness, functionality and availability of essential amenities;
- Identifying broken or missing facilities;
- Providing feedback on user experience; and
- Supporting regular monitoring of toilet facilities.

Women SHGs and other community groups may be particularly encouraged to participate in toilet monitoring, wherever feasible. The indicative checklist includes:

Male Toilet	Female Toilet
1. Water Supply/Functional Tap	1. Water Supply/Functional Tap
2. Intact Toilet Seat	2. Intact Toilet Seat
3. Lighting facilities	3. Lighting facilities
4. Ventilators/Exhaust	4. Ventilators/Exhaust
5. Functional Flush	5. Functional Flush
6. Mug	6. Mug
7. Overall cleanliness	7. Overall cleanliness
8. Child/PWD friendly Toilet	8. Child/PWD friendly Toilet
9. Common Dustbin	9. Common Dustbin
10. Intact Washbasin	10. Intact Washbasin
11. Liquid Soap/Soap Bar	11. Liquid Soap/Soap Bar
12. Clean Mirror	12. Clean Mirror

	13. Sanitary pad dispensing unit
	14. Separate dustbin for sanitary pad disposal
	15. Incinerator for sanitary pad disposal

B) Corrective Action Based on Monitoring by Local Bodies, States/UTs, relevant Ministries and Line Departments

The concerned local bodies should use findings from inspections, citizen feedback and FACES-based assessments (Functional, Accessible, Clean, Eco-friendly, Safe) to identify and address deficiencies in toilet facilities in urban areas. Particular attention should be given to basic functionality parameters; i.e. broken or missing facilities, water supply, lighting, sanitary fittings, cleanliness, accessibility, child/PWD-friendly facilities, availability of soap; sanitary waste bins, sanitary pad disposal facilities etc.

In rural areas, States/UTs to work with District, Block and GP level for planning. Joint site visits of GP/ PRI members including lead facilitators, GP officials, Village Water and Sanitation Committee (VWSC) members and residents/ stakeholders to be undertaken to CSCs for self-assessment and validation by the GP of the reported assets, including their functionality.

C) Operation and Maintenance Plan Finalization by Local Bodies, States/UTs, relevant Ministries and Line Departments

Local bodies should ensure clarity regarding responsibility for regular cleaning, maintenance of facilities, repairs, availability of essential consumables, lighting and water supply, and resolution of citizen complaints. An appropriate Operation and Maintenance (O&M) model should be in place for every CT, PT and CSC. The O&M model may include:

1. Direct management by the Local body;
2. Outsourcing to SHGs, NGOs or other contractors on pay-per-use basis with adequate revenue sharing;
3. Build-Operate-Transfer (B-O-T) arrangements; or revenue generation model, commercial tie-ups with café or renting out space etc.;
4. A combination of the above models.

VI. Swachh Paathshala - Yuva Engagement

SHS 2026 underscores the role of schools in embedding cleanliness as a '*sanskaar*' by schools and educational institutions. By engaging students, teachers, staff, parents and the community, the campaign seeks to move beyond one-time drives and foster '**Swachhata Mein Sahbhag**' as a *sankalp* for a '**Swachh Bharat, Viksit Bharat**'.

Active engagement of students (preferably Class 6-12) and youth is recommended to be undertaken through exposure visits or '*Swachhata Gyaan Yatras*' to waste management facilities/SLWM facilities created by RLBs/ULBs under SBM (G) 2.0 / SBM (U) 2.0. Competitions, experiential learning and dialogues may be organised. Additionally, it is desired that local bodies organize '*Swachhata Evam Jal Sanchay Samvads*' on sustainable waste and water management & conservation practices, and awareness on SWM Rules, 2026. In addition, awareness drives for 4-way source segregation, and donation drives for books, toys, clothes may be organised within school premises. Art competitions/wall painting activities may also be organised, with active engagement of political leadership, school principals, MyBharat volunteers, etc.

6.1 Key Activities

A) School Cleanliness and *Shramdaan*

Students, teachers, school staff, parents and community members may participate in cleanliness and beautification activities within and around school premises such as:

- Cleaning of classrooms, corridors, playgrounds and common areas;
- Removal of litter and accumulated waste and beautification of school premises;
- Cleaning and upkeep of school sanitation facilities by designated school staff;
- *Shramdaan* & plantation activities by students, teachers, parents and community members, subject to appropriate safety arrangements.

Note: Students should be encouraged to report deficiencies rather than undertake repairs themselves.

B) Swachhata Pledge

Schools may organise a Swachhata Pledge (on MyGov or other means) for students, teachers and staff to reinforce their commitment and inculcate a *sanskaar* towards cleanliness, sanitation and hygiene.

C) Swachhata Gyan Yatra:

It is recommended that local bodies facilitate exposure visits to SLWM assets created under SBM 2.0 such as Compost pits, segregation sheds, waste collection vehicle, Plastic Waste Management Units, MRFs, RRR Centres, composting units, CBG/Bio-methanation

plants, STPs and FSTPs for sensitization of school students (preferably Classes 6-12) and youth on swachhata as a way of life, waste management, achievements under SBM and key provisions of SWM Rules, 2026, along with hands-on demonstrations on composting as a sustainable practice for biodegradable waste management, wherever feasible.

Note:

- Local bodies shall identify and map functional SLWM assets created under SBM (G) 2.0 and SBM (U) 2.0 within their jurisdiction i.e. Plastic Waste Management Units, segregation sheds, Material Recovery Facilities (MRFs), RRR Centres, Composting Units, CBG / Bio-methanation plants, STPs and FSTPs etc. as applicable for exposure visits.
- A calendar for Swachhata Gyan Yatras for schools shall be prepared in coordination with District Education Officer and school principals, ensuring maximum participation of schools during SHS 2026.
- To facilitate the same, Nodal Officers shall be designated at each SLWM facility for guided tours, safety briefing and for conducting hands-on demonstrations, particularly on composting and source segregation as per SWM Rules, 2026.
- All sites shall be made safe, clean and presentable for student visits with proper signage, IEC material and availability of drinking water and toilet facilities. Local bodies shall assist in arrangement of logistical support including transport facilitation, wherever required.

D) Swachhata Evam Jal Sanchay Samvad

It is expected that educational institutions and schools will organize Swachhata Evam Jal Sanchay Samvads / Swachhata Ki Paathshala / Swachh Talks for age-appropriate discussions on personal hygiene, handwashing with soap, clean and safe toilets, rainwater harvesting methods, menstrual hygiene, safe drinking water, 4 – way source segregation, responsible waste disposal, Reduce, Reuse and Recycle (RRR), avoidance of littering and single-use plastics, environmental responsibility & *swachhata* as a way of life, greywater/wastewater management, reuse of treated water, and key provisions of SWM Rules, 2026.

It is requested that these *Swachhata Evam Jal Sanchay Samvads* may be led by appropriate political and local leadership as lead facilitators; School Principals, Eco-Clubs and *MyBharat* volunteers, and subject experts.

Note:

- Schools are encouraged to hold the *Samvad* through morning assemblies, debates, classroom discussions and activity-based learning with active participation of students.

- A resource pool of Master Trainers, IEC experts, SHG members and Swachhata Ambassadors can be identified by local bodies to supervise the discussions in schools. Political representatives may be invited to act as lead facilitators for the same.
- Standardized, age-appropriate IEC material / modules covering personal hygiene, handwashing with soap, clean & safe toilets, menstrual hygiene, safe drinking water, 4 – way source segregation as per SWM Rules 2026, responsible waste disposal, Reduce, Reuse & Recycle (RRR), avoidance of littering & Single-Use Plastics, Swachhata as a way of life, rainwater harvesting, greywater / wastewater management and reuse of treated water, may be disseminated to all schools.
- Documentation of the Samvads including photographs, attendance and key outcomes must be ensured and uploaded on the SHS 2026 portal.

E) Swachhata Competitions and Creative Engagement

Schools may organise age-appropriate competitions and creative activities around Swachhata, including essay writing, poetry, painting, poster-making, slogan writing, quiz competitions, jingle-making, debate, storytelling etc. Themes may include 'Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat', Waste to Wealth, RRR, Clean and Green Schools, Responsible use of water, 4 – way source segregation, citizen responsibility for swachhata. It is also recommended that institutions promote responsible waste management practices, including 4 – way source segregation demonstrations, Reduce-Reuse-Recycle (3R) activities, composting demonstrations etc.

**Note: Activities should be designed to promote participation, cross learning and ownership, rather than placing responsibility for sanitation work on children.*

VII. SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivir

In the past decade of SBM, sanitation workers across the country have emerged as everyday heroes who work tirelessly to ensure citizens enjoy their right to clean neighbourhoods.

Who is a SafaiMitra/ Sanitation Worker?

A worker who is either a direct employee, contracted, or outsourced by local bodies to carry out key swachhata functions such as road sweeping, door to door collection of waste from households, mechanical desludging of sewers & septic tanks etc.

To honour them and their efforts, it is envisaged that single-window camps/shivirs to benefit workers and their families may be organized, with the following key activities:

A) Single-Window SafaiMitra Suraksha Health Check-ups

Sanitation workers and their families may avail of preventive health check-ups and screening services organised as part of the Shivirs. The health interventions may include appropriate screening, consultation and referral services as facilitated by the concerned health authorities and service providers. Where further treatment or specialist consultation is required, beneficiaries may be provided appropriate information and referral linkages to relevant healthcare facilities.

B) PPE and Safety Gear

Sanitation workers may be provided appropriate PPE kits, safety equipment and protective gear relevant to the nature of their sanitation-related work. Workshops may be organized to sensitize workers on the appropriate use & maintenance of safety equipment.

C) Social Welfare and Entitlement Linkages

SafaiMitras/Sanitation Workers and their families may be facilitated in accessing eligible Central and State Government welfare schemes. This may include the following, as applicable:

S. No	Area of welfare	Name of scheme
1	Housing	Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)
2	Household connection tap	Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT), Jal Jeevan Mission (JJM), any State scheme
3	Toilets	Swachh Bharat Mission Urban and Grameen
4	Electricity	PM Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)
5	LPG	PM Ujjwala Yojana
6	Health cards & Health Insurance	Ayushman Bharat, PM Jan Arogya Yojana (PM-JAY)
7	Insurance	PM Suraksha Bima Yojana, PM Jeevan Jyoti Bima Yojana
8	Immunisation	Mission Indradhanush
9	Credit access	Swachhata Udyami Yojana (SUY) & bank financing linkage
10	Banking	PM Jan Dhan Yojana
11	Benefits under other Central Govt. & State Govt. will also be considered for all eligibles	

D) Information and Assistance

Information on available health services, welfare schemes, eligibility requirements and relevant application/registration processes may be made available to SafaiMitras and their families at the Shivirs. Wherever required, local bodies may kindly ensure beneficiaries are provided assistance in completing registration or accessing the relevant service/ scheme.

E) Felicitation of SafaiMitras / Swachhagrahis / Sanitation Workers

Local bodies are encouraged to organize felicitation drives during the SHS 2026 honouring the efforts and commitments of all staff, contractual sanitation workers, Swachhagrahis including road sweepers, drain cleaners etc to honour their efforts and commitment towards the vision of Swachh and Viksit Bharat. Political Leadership may be engaged for this.

F) Planning and Organisation of SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivirs by local bodies, relevant Ministries & Line Departments

Local bodies and Ministries should undertake advance planning to ensure that SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivirs are organised as effective single-window service delivery camps.

I. Planning with Health Department, Healthcare Facilities and Service Providers

Local bodies/Ministries are encouraged to establish collaborations with Health Departments, Government and private hospitals, Clinics, Healthcare facilities, Medical associations & other appropriate healthcare service providers. Such partnerships may support preventive health check-ups, health screening, medical consultations, treatment/referral services etc. Occupational context of sanitation workers should be provided to ensure and enable more responsive health services.

II. Due Diligence and Field Verification

Thorough field verification and due diligence should be undertaken before extending welfare and other benefits to potential beneficiaries. This should facilitate:

- Accurate identification of eligible SafaiMitras/Sanitation Workers/Swachhagrahi;
- Verification of beneficiary details;
- Identification of family members/dependents, as applicable; and
- Estimating camp requirements; and
- Planning logistics to ensure maximum inclusion.
- Appropriate linkage of beneficiaries with relevant services and schemes.

III. Camp Schedule and Venue Finalisation

The Health & Govt scheme linkage camp venues should be finalised sufficiently in advance and should preferably be in the same location, for logistical ease. The venue should be accessible to the intended beneficiaries and should have adequate arrangements for registration, health screening, consultation, distribution of PPE / safety kit etc.

IV. Mass Dissemination of Key Information

Information regarding the date, time, venue and services available at the SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivar should be disseminated sufficiently in advance through appropriate channels. Local bodies should use multiple channels, including:

- Direct communication with sanitation workers/Swachhagrahis;
- Supervisors and sanitation contractors/agencies;
- GP/Ward-level communication and local announcements;
- Digital and social media platforms; and
- Other appropriate community communication channels.

Special efforts should be made to ensure that sanitation workers working across different shifts, locations and employment arrangements - direct, contracted or outsourced- are informed about the Shivirs.

v. *Coordination with Employers and Agencies*

Local bodies should coordinate with agencies responsible for engaging sanitation workers, including contractors and outsourced service providers, to facilitate participation of eligible workers. Operational arrangements should be made so that sanitation workers are able to attend the Shivirs outside their shifts without compromising essential sanitation services.

vi. *Documentation and Follow-up*

The concerned authorities should maintain appropriate records of:

- Workers (male/female) and family members reached;
- Health services provided;
- PPE/safety equipment distributed;
- Welfare schemes/entitlements facilitated;
- Referrals made; and
- Applications or registrations completed.

Central Ministries to organize SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivirs for sanitation workers and their dependents in their own jurisdiction (Cantonments, Railway Stations, Educational Institutes, Roads and Highways, Airports etc), in convergence with trusted local healthcare service providers and practitioners.

VIII. Jan Bhagidari for Swachhata

For Swachhata Hi Seva 2026, it is imperative that all local bodies, CPSEs, NGOs, CSOs, industries, associations and Central Ministries work together to ensure widespread engagement and participation from every citizen, community, and organization during the fortnight. The aim is to foster a sense of duty within all citizens & transform the way people perceive and engage with swachhata in their daily lives.

A) Sports for Swachhata

Sporting competitions, with emphasis on traditional and regional sports, may be organized across schools, colleges, RLBs/ULBs, RWAs, Ministries and Departments to promote the message of Swachh Bharat and Viksit Bharat. All events may be organized

as zero-waste events, followed by post-event cleanliness drives of the playground/maidaan, with winners felicitated by local eminent personalities. As part of this, Swachhata runs, cyclathons and marathons may be organized to promote fitness and cleanliness simultaneously through broad community participation.

B) Swachh Parv, Harit Parv – Clean Festivities:

During SHS 2026, national and regional festivals falling within the period, e.g., Vishwakarma Puja, Ganesh Chaturthi, Teej etc. which may be celebrated as eco-friendly and single-use plastic-free events. Special focus may be given to the use of eco-friendly alternatives such as clay idols, responsible management of waste generated during festivities, and spreading the message of swachhata through art, eco-friendly decorations and rangolis.

C) General Public Activities:

Citizen participation may be encouraged through the following activities:

- ✓ **Zero Waste Events:** Organisation and highlighting of zero-waste initiatives at RRR Centres and tourist spots through digital platforms.
- ✓ **Door to door awareness by political leadership** on 4 – way source segregation and SWM Rules 2026.
- ✓ **NGO & SHG Mobilisation:** Engagement of NGOs, CSOs and SHGs to connect with RWAs and local communities for widespread awareness and participation.
- ✓ **Organisation of Swachhata rallies, flash mobs, human chains, Swachhata Chaupals** to foster local engagement.
- ✓ **Beautification Drives:** Wall paintings and beautification of parks, high footfall tourist points, roads and flyovers.
- ✓ **Swachhata Pledges:** Administration of pledges in offices, educational institutions, public spaces and before the commencement of events.
- ✓ **Swachh Food Streets** (details in Annex 1)
- ✓ **Selfie Points:** Installation of Selfie Points at strategic locations to encourage public engagement and pride in cleanliness.
- ✓ **IEC Activities:** Street plays/nukkad natak, and slogan writing, poem, essay, painting and poster competitions on SBM in schools to creatively engage citizens.
- ✓ **Promotion of home composting and compost distribution drives**
- ✓ **Plastic-Free Initiatives:** Promotion of plastic-free practices and use of cloth bags.
- ✓ **Repetitive public announcements** on 'No Littering' and 'No Spitting'
- ✓ **Rejuvenation of Neki Ki Deewar / RRR Centres** including tie up with local bodies, NGOs etc.
- ✓ **Public collection drives** for used clothes, shoes, books, toys etc for redistribution through Neki Ki Deewar & RRR Centres.

D) September 27: World Tourism Day

- Cleaning of high-footfall areas and tourist destinations, including tourist-centric beaches, establishments, pilgrim centres and Swachh Iconic Places, along with Swachhata-related activities at ASI sites, State-protected monuments and rural tourist sites, may be undertaken on 27th September 2026 for World Tourism Day.
- In addition, SHS 2026 branding be done across high footfall tourist sites, alongside illumination of key ASI Sites & monuments with Swachhata Hi Seva 2026 messaging.
- Site-wide public awareness campaigns on appropriate civic behaviour in places of historical significance to be organized through the spirit of volunteerism.

IX. Swachhata Se Samriddhi

SHS 2026 aims to celebrate creativity, innovation and circularity by transforming waste into valuable resources. It encourages citizens to reimagine waste not as refuse, but as a resource that can be repurposed into useful and beautiful creations, thereby promoting the principles of Reduce, Reuse and Recycle.

A) Kabaad Se Jugaad – Waste to Wealth

Transformation of discarded and waste materials such as cloth, paper, plastic, e-waste etc. into useful, **functional, and marketable products** for everyday use.

B) Kabaad Se Kala – Waste to Art

- Local bodies are requested to collaborate with youth groups, design institutes, colleges, art clubs/schools, and community organizations to transform waste **materials into artistic creations**, championing the principles of '**Waste to Wealth**'. The same can be used at transformed CTU sites, in townhalls, high footfall tourist places, chaurahas and key roads etc.
- This initiative not only aims to enhance the visual appeal of the targeted local areas but also to foster environmental consciousness, community engagement, and showcase the artistic potential of recycled materials. The focus will be on creating a diverse range of art installations, including murals, sculptures, and decorative items.
- Citizens, youth groups, students, artists, design institutes, art colleges/clubs and community organisations may collaborate to create artistic and functional products from waste.
- The following 'Waste to Art' installations are suggested:

i. Murals:

- ✓ Large-Scale Murals: Vibrant murals using recycled materials such as broken tiles, bottle caps, and plastic scraps can be created to depict themes related to local culture, the vibrancy of urban life, or swachhata messages.
- ✓ Interactive Murals: Interactive elements can be included into murals to engage viewers and encourage them to learn about recycling, 'Reduce, Reuse, Recycling', and swachhata.

ii. Sculptures:

- ✓ Thematic Sculptures: Sculptures crafted from metal scraps, old machinery parts, or discarded plastics can be installed by placing them in strategically high footfall places, serving as focal points that attract attention and stimulate conversation about the value of recycled materials.
- ✓ Functional Sculptures: It is encouraged that sculptures/ installations that double as functional elements, such as benches or informational signs are created to integrate utility with artistic expression.

iii. Decorative Items:

- ✓ Recycled Art Furniture: Artistic and functional furniture pieces such as lamp posts, benches, and planters can be made from recycled materials to enhance the aesthetics of the chauraha / high footfall location
- ✓ Seasonal Decorations: Seasonal or thematic decorations for events and festivals that use recycled materials can also be used to integrate swachhata and the habit of cleanliness into community celebrations.

- Local bodies are requested to invite entries for **Kabaad Se Jugaad** and **Kabaad Se Kala** by promoting citizen and youth participation. **Details of top two entries from each category recommended for National-level display (with a letter nominating the winners under both 'Kabaad Se Jugaad' and 'Kabaad Se Kala' categories, with details and pictures of their creation) need to be updated on the SHS-2026 portal.**

C) Plastic Recycling Melas across local bodies

- BWGs-Recycler connect melas may be organized at common places across local bodies. This connect between prominent recyclers and Bulk Waste Generators at a common venue to help synthesize partnerships and collaborations between them, in line with SWM Rules 2026.

- Further, in rural areas, assessment and strengthening of forward linkages for rural Plastic Waste Management Units (PWMUs) may be undertaken.

D) RRR Centres & Zero Waste Facilitation

- RRR Centres may be established or strengthened in high-footfall areas. These Centres should function as community hubs.
- Local bodies should ensure appropriate linkages for collected materials with reuse, recycling and processing facilities.
- Wherever feasible, local bodies may document and showcase successful zero-waste initiatives undertaken at RRR Centres, tourist destinations and other public spaces.
- Collection drives for used clothes, books, toys and other household items may be organized in partnership with local NGOs/SHGs for repair, reuse, redistribution or recycling, promoting circularity.

X. Campaign Roll Out – 17th September 2026

SHS 2026 will officially roll out on 17th September 2026. As part of the roll out, local bodies are requested to organize large-scale, on-ground awareness drives across schools (government and private schools), facilitate various swachhata awareness activities, SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shikris, as well as CTU drives, as per their chosen calendar of activities. Ministries/Departments, States/UTs and Local Bodies may plan their roll out as per their priorities and preferences, including any activities defined under the 5 pillars of SHS 2026 above.

As part of the official rollout of Swachhata Hi Seva 2026, States/UTs may consider inviting the following dignitaries:

- Hon'ble Union Ministers
- Hon'ble Chief Minister of the State/UT
- State/UT Ministers, Members of Parliament, Members of State/UT Legislative Assemblies & political leadership
- Senior officers of various Line Ministries - Rural Development, Panchayati Raj, Urban Development, Women & Child Development, Education, Health & Family Welfare, Environment, Forest and Climate Change, Tourism, Youth Affairs and Sports, Railways, Road Transport and Highways, Information & Broadcasting, Culture etc.
- District and ULB officials
- Panchayati Raj Institutions (PRI) members, Village Field Functionaries, SafaiMitras/Swachhagrahis/Sanitation Workers, eminent citizens/ volunteers, SHGs, RWPFs/ partner organizations, Development Partners, NGOs, and CSOs

XI. Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath– 1st October 2026

As part of SHS 2026, **simultaneous shramdaan/ cleanliness drives** are envisaged to take place on 1st October 2026 at 8 AM in a 'Whole of Government' and 'Whole of Society' approach. The general guideline for the same is as follows:

At the local level

- ✓ Transformation of CTUs (स्वच्छता लक्षित इकाई)
- ✓ On ground shramdaan and plogging drives can be carried out by citizens, political leadership, SBM Ambassadors, youth groups, NGOs, CSOs, partner organization representatives, influencers.

Maximum possible participation is requested across all levels.

At the State/UT level

- ✓ Voluntary shramdaan drive may be led by Hon'ble Chief Minister, State Minister
- ✓ Felicitation of SafaiMitras/Sanitation workers and presentation of welfare benefits
- ✓ Interaction between Hon'ble Chief Minister and SBM beneficiaries to be organized

Central Ministries/Departments are requested to participate in 'Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath' by transforming CTU sites across local bodies, and within their own camps/educational institutes/jurisdictions of operations. Voluntary shramdaan drives, felicitation of best volunteers & performers for Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath as well as zero waste celebration of transformative work being carried out may also be done.

XII. Swachh Bharat Diwas – 2nd October 2026

This year, for Swachh Bharat Diwas, all local bodies and districts are requested to carry forward the following activities:

- Prabhat Pheris
- Awards for various competitions/ clean and green mandaps/ RWAs
- Recognition to best performing local bodies / organizations / volunteers/ partners

Districts and local bodies are also advised to prioritize visible cleanliness in all public and high footfall places. It is requested that cleanliness drives take place within 24 hours of the conclusion of all festivities.

➤ Special Gram Sabhas (Rural areas)

On Swachh Bharat Diwas, 2nd October 2026, Special Gram Sabhas may be convened to discuss

- Awareness and sensitisation on SWM Rules, 2026

- Discussion on Swachh Seva Aankian (SSA) – Presenting self-assessment findings of Swachh Seva Aankalan followed by modifications if any, validation, formal resolution and approval.
- Swachhata Pledge by all members through MyGov.
- Plantation drives under Ek Ped Maa Ke Naam

➤ Special Council Meetings (Urban areas)

It is requested that Special Council Meetings are organized at the Council level across all ULBs, preferably with the involvement of Mayors/Chairpersons to undertake the following public activities:

- Demonstration drives for 4 – way source segregation
- Awareness drives and sensitisation on SWM Rules, 2026
- Registration drives for Bulk Waste Generators
- Any other activity, as deemed fit by the Council

XIII. SHS 2026 Branding

- Editable files for common branding material for SHS-2026 will be shared for mass dissemination during the campaign. Indicative branding material is as follows:
 - SHS 2026 logo
 - Creatives, banners, hoardings, standees for SHS 2026 reflecting theme of 'Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat'
- Local bodies, Ministries & partners are requested to **adapt these designs as per requirement and translate into local and regional languages** for effective and maximum dissemination.
- Ministries may adopt an additional Ministry-specific sub-theme** aligned to their focus areas in addition to the national theme of SHS 2026.
- Hashtags for SHS- 2026: **#SHS2026 #SwachhataHiSeva2026**. This will help share innovative on-ground activities, best practices, and impacts of cleanliness drives.

Branding for SHS 2026 to be used for display across all official websites, microsites for Ministries and Departments, respective social media pages, and on display during in-person and virtual events taking place during SHS-2026.

i. **Design 360-degree advocacy plan for SHS- 2026:**

All State/UT Governments, Central Ministries/Departments, Rural Local Bodies (RLBs)/Urban Local Bodies (ULBs), and CPSEs are requested to adopt a 360-degree multi-media advocacy plan to maximise citizen engagement and amplification of SHS 2026 as well as the "Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath" initiative. The advocacy plan may include the following elements:

- ✓ **Interpersonal Communication (IPC):** Direct community-level outreach through door-to-door campaigns, SHG mobilisation, school and college activities, and engagement of community-based organisations.
- ✓ **Digital and Social Media:** Creative digital campaigns may be undertaken across official handles and citizen-facing platforms to ensure wide participation in SHS 2026, especially 'Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath', especially among youth. All stakeholders to utilise social media platforms for wider outreach like Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn to post updates, progress reports, and achievements. **Official X handles: @SwachhBharatGov, @SwachhBharat, @MoHUA_India and @MoJSDDWS must be tagged for wider reach.**
- ✓ **Brand Ambassadors for Mobilisation:** Local champions, cultural icons, and public figures may be engaged as advocates to inspire behavioural change and collective action. Brand Ambassadors may include celebrities and artists from Film & Theater, Sports Personalities, Art & Music, Public Figures, Philanthropists, Citizen influencers, local eminent citizens, retired paramilitary and armed force personnel, Padma Awardees, local NGOs, CSOs, development partners, youth ambassadors including MY Bharat Volunteers, NYKS, TULIP Interns etc., bloggers and vloggers.
- ✓ **Mid-Media Mobilisation:** Visibility may be ensured through billboards, branding of metro stations, buses, railway stations, waste collection vehicles, RWAs, malls, and digital display boards.
- ✓ **Mass Media:** Efforts may focus on local channel discussions, television and radio talk shows, and publication of good practices and success stories to highlight citizen-led action. It is requested that conventional newspaper advertisements are avoided.

ii. Leadership Engagement:

- As part of SHS-2026, Chief Ministers, State Ministers, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Mayors/Chairpersons, Gram Pradhan/ Sarpanch, Member of Panchayat, and other political leadership and VIP representatives across to participate in various events conducted during SHS-2026.
- Request for physical participation and social media messaging on the key themes of 'Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat'.
- Involvement in on-ground CTU transformation and beautification activities

XIV. Campaign Reporting

All the campaign outcomes will be monitored and reported on the specially curated SHS-2026 portal at (<https://swachhatahiseva.gov.in/>).

A) Institutional Framework for Campaign Management

i. Nodal Officer Appointment :

- All Central Ministries/Departments to assign a nodal officer of Joint Secretary (JS) or equivalent rank to coordinate efforts of the Ministry/Department, including its CPSEs, subordinate and attached offices with DoUD & DDWS. The contact details of the nodal officer should be communicated by 10th September 2026.
- At the **State/UT level**, the State/UT Mission Directors of SBM-U and SBM(G) are designated as nodal officers to ensure effective planning for SHS 2026, overseeing of progress and also review of local bodies.

ii. State/UT Level Co-ordination Committees (SLCC):

- States/UTs are requested to establish State/UT Level Coordination Committees (SLCCs) under the leadership of the State Urban Development Minister and Rural Development Minister, with support from the Chief Secretary.
- The SLCCs shall oversee the conceptualisation, campaign preparedness, implementation of SHS 2026, sharing of best practices and daily reporting on the campaign monitoring portal.
- Regular review meetings at the appropriate level are to be ensured, with the SLCCs playing a central role in enabling smooth execution of SHS 2026.

iii. District-level Coordination Committees:

- All SHS 2026 activities across districts are to be monitored and reviewed by the District Collector, with support from the CEO Zila Parishad, ADM/District Officers (Urban and Rural), and other relevant functionaries.
- The District Collector shall ensure inter-departmental convergence, active participation of all local bodies, and timely reporting of progress.

iv. For Million Plus Cities:

- In Million Plus Cities, SHS 2026 activities must be reviewed daily by the Municipal Commissioner/CEO, supported by senior officials from relevant departments
- This core group will function as nodal points for campaign planning, monitoring of daily progress, coordination with State Mission Directors, and redressal of operational issues. Special emphasis is to be placed on high-

visibility activities, citizen mobilisation, and adoption of innovative practices in Million Plus Cities, given their scale and national visibility.

Central Ministries/Departments are requested to appoint nodal officers, as mentioned above. It is requested for regular progress meetings to be chaired by each Ministry with their respective line Departments and field offices for smooth execution

XV. Key Timelines

S.No	Activities	Date
<i>Preparatory Work</i>		
1.	Preparatory Meeting with all States / UTs chaired by Union Ministers	To be communicated separately
2.	Meeting of Secretaries of Central Ministries/Departments chaired by Cabinet Secretary	To be communicated separately
3.	1 st Meeting of Coordination Committees across all levels	By 10 th September
4.	IT portal mapping of CTUs	By 15 th September
5.	National-level Curtain Raiser	16 th September
6.	Completion of all Preparatory Work	By 16 th September
<i>Campaign Period</i>		
7.	Campaign Roll Out	17 th September
8.	Campaign Period	17 th September- 2 nd October
9.	Nationwide Shramdaan- Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath	1 st October
10.	Swachh Bharat Diwas	2 nd October

Swachh Food Streets (as part of Jan Bhagidari for Swachhata)

As per the Guidance Document for 'Clean Street Food Hub' by FSSAI, a Clean Street Food Hub (CSFH) may be defined as – "a hub or cluster of 50 or more vendors/shops/ stalls selling popular street food representing local and regional cuisines and meets basic hygiene and sanitary requirements. It excludes fine dining."

The concept of Swachh Food Streets should exemplify the SHS 2026 theme of 'Swachhata Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat' through messaging, branding, and activities. In order to execute the concept of 'Swachh Food Streets' the following key components can be considered:

a. Facility Strengthening

- ✓ Focus on public health and food safety protocols, including habit of handwashing, sanitized eating spaces, no pests/rodents in storage, cooking or consumption zones etc
- ✓ Dedicated waste bins to be installed with clearly labeled bins for segregating wet and dry waste at various points along the food street
- ✓ Seating arrangements is recommended to be made from waste/upcycled material
- ✓ Retrofitting of public and community toilets nearby to ensure 100% functionality
- ✓ Focus on area beautification with tree plantation, removal of nearby garbage zones

It is recommended that fully functional Aspirational Toilets (mobile or stationary) should be available for public usage in these zones. Regular cleaning and maintenance of the same to be ensured by the local body.

b. Vendor Sensitization for Overall cleanliness

- ✓ Dedicated sensitization to street vendors, restaurants & stall owners for systematic waste disposal into two bins, no littering, hygiene standards etc

c. Schedule for Collection and Processing

- ✓ A daily routine and timeline for the collection of segregated waste to be implemented to ensure timely removal and processing
- ✓ ULBs to partner with local facilities for composting organic & recycling materials

d. Operations and Maintenance by SHGs and SafaiMitras

- ✓ SHGs to be mobilized to oversee daily cleanliness, monitor waste segregation practices, and manage community engagement efforts. SHGs will also be responsible for periodic maintenance and community outreach activities.
- ✓ SafaiMitras to manage the operational aspects of waste collection, maintain sanitation equipment, and ensure that standards are upheld.

[Secy-goi] Joint D.O. Letter from Secretary (DDWS), M/o Jal Shakti and Secretary (DoUD), MoHUA, Govt. of India- reg.

Deepti
Gaur
Mukerjee

< secy.dhe@nic.in >

Ashok Kumar K Meena < secydws@nic.in >

Tue, 08 Sep 2026 11:13:54 AM +0530

To "secy-goi"<secy-goi@ismgr.nic.in>

Cc "secyurban"<secyurban@nic.in>,"Aishvarya Singh"<js-sbm@gov.in>,"Amit Choubey Deputy Secretary DDWS"<amit.choubey@nic.in>,"Office Of Secretary DDWS"<ppsdws@nic.in>

Kind Attention: O/o Hon'ble Secretary

Madam/Sir,

Kindly find attached a copy of the **Joint D.O. Letter dated 07.09.2026, along with its enclosure**, from Secretary, DDWS, Ministry of Jal Shakti, and Secretary (DoUD), MoHUA, for kind perusal of the Hon'ble Secretary.

Regards

Office of Secretary(DDWS)
Ministry of Jal Shakti
Room No. - 401, B1-wing, 4th Floor
Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003
011-2436(1011, 2715, 1245)

Secy-goi mailing list -- secy-goi@ismgr.nic.in
To unsubscribe send an email to secy-goi-leave@ismgr.nic.in

2 Attachment(s)

D.O. letter to Secretaries.pdf
1.7 MB

Swachhata Hi Seva 2028 Guid...
645.5 KB